

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

**हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना**

दिनांक 10 जून, 2022

संख्या 23/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 59/2022—हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 9/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
(2) ये जून, 2022, के बाहरवें दिन से लागू होंगे।
2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में,—
 - (i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) प्ररूप अनु0—1 में अनुज्ञप्ति के लिए,—

- (क) ₹1,55,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 10 लाख प्रूफ लीटर से कम या बराबर है;
- (ख) ₹1,85,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 10 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 25 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;
- (ग) ₹2,15,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;
- (घ) ₹2,75,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि प्रत्येक अनु0—1 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस के 30 प्रतिशत के बराबर वापसीयोग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन किसी भी राशि या जुर्माना के लिए जब्त या समायोजित होने के लिए उत्तरदायी होगी।

परन्तु यह और कि यदि अनु0—1 अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से बचने के लिए शराब की कोई अवैध या गुप्त बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे अनु0—1 अनुज्ञप्तिधारी की तरफ शास्ति आदि के कारण देय राशि की वसूली उसके द्वारा अपने खुदरा ठेके (अनु0—2) अनुज्ञप्ति की जमा की गई प्रतिभूति से की जाएगी और किसी अनु0—1 गोदाम के स्टॉक में कमी के मामले में 20,000 से अधिक प्रूफ लीटर और 40,000 प्रूफ लीटर तक, न्यूनतम शास्ति जो उल्लंघन के लिए लगायी जा सकती है, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 1.5 गुना से कम नहीं होगी। यदि किसी अनु0—1 गोदाम के स्टॉक में 40,000 प्रूफ लीटर से अधिक की कमी पाई जाती है, तो उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली न्यूनतम शास्ति ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 2 गुना से कम नहीं होगा तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, शेष अन्य सभी प्रकार की मदिरा पर 0.5 प्रतिशत और बीयर पर 1 प्रतिशत टूट—फुट की छूट की अनुमति दी जायेगी। टूट—फुट के स्टॉक के सम्बन्ध में लगाई गई आबकारी शुल्क वापस/समायोजित नहीं किया जायेगा।”;

- (ii) खण्ड (i—ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i—ख ख) प्ररूप अनु0—4/अनु0—5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:—

- (क) 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को प्रदान की गई अनु0—4/अनु0—5 अनुज्ञप्ति: ₹ 25,00,000

परन्तु गुरुग्राम—मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2031 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर भी अनु0—4/अनु0—5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे स्थानों के लिए भी अनु0—4/अनु0—5 अनुज्ञप्तियों प्रदान की जाएगी, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, टेक्नोलोजी पार्क, पंचकूला। औद्योगिक शहरों धारुहेड़ा और बहादुरगढ़ में प्रतिष्ठित रेस्तरां को भी अनु0—4/अनु0—5

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। मोरनी उप-तहसील क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित: रेस्तरां को भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति भी प्रदान की जाएगी।

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी ओर फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात-दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षाओं में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं। यदि अनुज्ञप्तिधारी एक या अधिक अतिरिक्त स्थलों को उप-पट्टे पर देना चाहता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से 10 लाख रुपये प्रत्येक अतिरिक्त स्थल के लिए निर्धारित फीस प्रभारित की जाएगी। अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी बार सुबह 02.00 बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों के समय को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर सुबह 8:00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। अनु04/अनु0-5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹22,50,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त स्थल अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात-दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षाओं में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी अवस्थित किसी होटल को भी अनन्तिम रूप से अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी इस शर्त के अधीन कि आवेदक अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले एक वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 4 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अनन्तिम अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्ति अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा।

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल के लिए,-

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुज्ञप्ति फीस
1	गुरुग्राम	₹20,00,000
2	फरीदाबाद	₹17,00,000
3	सभी अन्य जिले	₹15,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, एक अतिरिक्त स्थल तथा कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षाओं में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति राज्य के किसी भी स्थान पर अवस्थित तीन सितारा और सितारा होटलों की उपर की श्रेणियों को भी दिया जायेगा। अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति जिला मुख्यालय शहरों में स्थित प्रतिष्ठित होटलों और रेस्तरां को भी दिया जा सकती है। राज्य में पर्यटन/साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी प्रतिष्ठित होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां आदि को अनु0-4/अनु0-5 के रूप में बार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का मामला, जिसमें अच्छी अवसंरचना और सुविधाएं हैं, लेकिन आबकारी नीति के सम्बन्धित खंडों में वर्णित भौगोलिक प्रतिबन्ध से बाहर स्थित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे सभी मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अपनी सिफारिश सहित सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

राज्य में कहीं भी स्थित विद्यमान कार्यात्मक बारों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण सम्बन्धित उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा समाहर्ता की ओर से किया जायेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को उसकी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त फीस के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यों, पार्टियों, आयोजनों तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन शुल्क और परमिट शुल्क के भुगतान के अधीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा खरीदने की अनुमति होगी। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेगा। बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹50 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(घ) प्ररूप अनु04/अनु0-5 में अनुज्ञप्ति के लिए, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(क)	राजस्व जिला गुरुग्राम के लिए	₹18,00,000
(ख)	जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000
(ग)	गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य में सभी अन्य जिलों के लिए	₹10,00,000
(घ)	सभी जिलों में हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस
(ङ.)	सभी जिलों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस:

परन्तु ₹6.00 लाख की कम्पोजिट प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कम्पोजिट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी, शराब/बीयर/आरटीबी/साईडर/लिकर, बेहिसाब शराब की बिक्री होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाला लेबलों के बिना शराब की बिक्री के सिवाय, जाम की बजाय बोतलों में मदिरा की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है।

टिप्पण 1. पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पण 2. हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रुपये के बराबर फीस के भुगतान पर चलाने की अनुमति दी जाएगी।”;

(iii) खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(ii) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल के लिए प्ररूप अनु0-11 में अनुज्ञप्ति, प्रति वर्ष 75,00,000/-रुपये अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर दी जाएगी, जिसका नवीनीकरण प्रति वर्ष 75,00,000/-रुपये के भुगतान पर किया जायेगा:

परन्तु अनु0-15 अनुज्ञप्ति रखने वाले बॉटलिंग प्लांटो को अनु0-11 अनुज्ञप्ति की अन्य फीस के साथ 10.00 लाख रुपये की एकमुश्त रूपान्तरण फीस का भुगतान करने के बाद अनु0-11 अनुज्ञप्ति लेने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु यह और कि अनु0-11 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा में बोतल बंद किए जाने वाले ब्राण्ड के लिए प्रति वर्ष प्रति ब्राण्ड 7.00 रुपये की पंजीकरण फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि आ0-2 अनुज्ञप्ति और मद्य-1 अनुज्ञप्ति के अनुज्ञप्तिधारी जो अपने स्वयं के ब्राण्डों के अलावा अन्य ब्राण्ड की बोतल रखते हैं, प्ररूप अनु0-11 में अनुज्ञप्तिधारक के समरूप दर पर पंजीकरण फीस का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा:-

उपरोक्त निर्दिष्ट दोनों प्रवर्गों की ऐसी बॉटलिंग अनुज्ञप्तियों के लिए पंजीकरण फीस के अतिरिक्त, निम्नलिखित दरों पर विशेषाधिकार फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा:-

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

विशेषाधिकार फीस

	हरियाणा में बिक्री हेतु	हरियाणा से बाहर निर्यात हेतु
भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट	₹22.00/- प्रति प्रूफ लीटर	₹10.00/- प्रति प्रूफ लीटर
बीयर	₹14.00/- प्रति बल्क लीटर	₹5.00/- प्रति बल्क लीटर
वाईन	₹5.00/- प्रति बल्क लीटर	₹5.00/- प्रति बल्क लीटर

परन्तु बशर्ते यह कि प्रस्तावित बाटलिंग प्लांट को आशय का कोई नया पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक राज्य में मौजूदा आसवनी की स्थापित उत्पादन क्षमता का 90 प्रतिशत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का वास्तविक उपयोग न हो जाए। आगे, प्रस्तावित बाटलिंग प्लांट के लिए आशय का कोई भी पत्र वर्ष 2022-23 में पुनर्विधिमन्थन नहीं किया जाएगा, यदि आवेदक अपने आशय पत्र के उपबन्धों के अधीन निर्धारित समय के भीतर संयंत्र स्थापित करने में अफसल रहता है।

(iv) खण्ड (ii-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii-ग) भारत में बनी विदेशी स्पिरिट तथा बीयर पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगी:-

		राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए	भारत के भीतर राज्य से बाहर आपूर्ति के लिए	भारत के बाहर निर्यात
(क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी-2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹15.00/- प्रति प्रूफ लीटर	₹5.00/- प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लांट बाटलिंग के लिए	₹20.00/- प्रति प्रूफ लीटर	₹7.50/- प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिंग के लिए तथा जहाँ फ्रेंचाईज फीस उदगृहीत नहीं की गई है	₹22.00/- प्रति प्रूफ लीटर	₹8.00/- प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(घ)	बुअरज के द्वारा बीयर की बाटलिंग के लिए	₹12.00/- प्रति बल्क लीटर	₹1.00/- प्रति बल्क लीटर	शून्य:

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उदगृहीत होगी, यदि कोई भी फ्रेंचाईज फीस उदगृहीत नहीं की गई है।”;

(v) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परन्तु प्ररूप अनु0-12 क में अनुज्ञप्ति उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन के दौरान शराब परोसने के लिए कब्जा सीमा से अधिक के लिए दी जायेगी। निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अनु0-12क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा:-

- (i) बैंकट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक पार्कों/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, के स्थल, समारोह वाली धर्मशालाओं, एकत्रित होने के लिए तथा विवाह पार्टियों में शराब परोसने के लिए;
- (ii) किसी विशिष्ट दिन पर समारोह की मेजबानी के लिए अस्थायी आधार पर अपने अनुज्ञप्त परिसरों के बाहर शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्त होटलों, रेस्टोरेंटों तथा क्लबों के लिए;
- (iii) कब्जे की सीमा से अधिक, व्यक्तिगत के लिए एक दिन हेतु निजी स्थान पर शराब परोसने के लिए

वाणिज्यिक स्थानों जैसे बैंकट हाल, पार्टी हॉल/लॉन वाले होटलों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में आबकारी विभाग में अनिवार्य रूप से

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

पंजीकरण करवाना होगा। पार्टी हॉल/लॉन वाले बैंकट हॉल और होटलों का वार्षिक पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार होगा:-

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल का अवस्थान	वार्षिक पंजीकरण फीस
1	गुरुग्राम तथा फरीदाबाद की कारपोरेशन सीमा	₹50,000
2	अम्बाला, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर की कारपोरेशन सीमा	₹30,000
3	शेष जिला हैडक्वार्टर शहरों की परिषद्/समिति सीमा	₹15,000
4	जिले की नगरपालिका सीमा के बाहर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर पडने वाले बैंकट हाल/होटलों (आबकारी नीति तथा आबकारी नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन)	₹10,000
5	ग्रामीण क्षेत्रों में पडने वाले बैंकट हॉल(उपरोक्त श्रेणी 4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न)	₹5,000

अनु0-12क अनुज्ञप्ति के लिए फीस ढांचा निम्नानुसार होगा:-

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल का अवस्थान	वार्षिक पंजीकरण फीस
(i)	वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्ति के लिए	₹5,000 प्रतिदिन प्रति समारोह
(ii)	कब्जा सीमा से बाहर निजि स्थान पर व्यक्तिगत हेतु मदिरा परोसने के लिए	₹1,000 प्रतिदिन प्रति समारोह

परन्तु यह और कि अनु0-12क अनुज्ञप्ति, उन निजी ठेकेदारों/आयोजकों को भी मनोरंजन कार्यक्रमों/मेगा शो/मैजिक शो/सेलिब्रिटी कार्यक्रमों आदि के दौरान शराब परोसने के लिए आवेदक के रूप में आवेदन फीस के भुगतान पर प्रदान की जाएगी, जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

इस तरह के आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	प्रत्येक आयोजन हेतु आवेदन शुल्क (₹ में)
5000 तक	₹10,000/-
5001 से 25000	₹1,00,000/-
25001 या उपर	₹5,00,000/-

यह अनुज्ञप्ति आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदक को उत्पाद शुल्क/मूल्यांकन फीस/वैट या यथा लागू कोई अन्य उदगृहण भी जमा करना होगा।

सभी वाणिज्यिक स्थानों में अनु0-12 क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन में प्रबन्धक के ब्यौरे अर्थात् नाम तथा शैली, जी.एस.टिन तथा मेहमानों की लगभग संख्या तथा मदिरा की मात्रा वर्णित करनी होगी:

परन्तु यह और कि यदि कोई भी बैंकट हॉल/होटल वैध अनु0-12क अनुज्ञप्ति के बिना शराब परोसता पाया जाता है, तो प्रथम अपराध के लिए ₹50,000/-की शास्ति लगाई जाएगी, द्वितीय और तृतीय अपराध के लिए ₹1,50,000/-की शास्ति लगाई जाएगी। आगे पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे बैंकट हाल/होटल को एक वर्ष की अवधि के लिए कोई भी आबकारी

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा।”;

(vi) खण्ड (iv-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv-ख) प्ररूप अनु0-12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

वर्ग	अनुज्ञप्ति का प्रकार	जिला	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस	अतिरिक्त बिन्दु (गणना / अनुज्ञप्ति फीस)
(i)	एक प्रतिष्ठित क्लब को प्रदान किया गया अनु0-12ग	सभी जिलों के लिए	₹20,00,000 / -	3 स्टार रेटिंग वाले अनु0-4 / अनु0-5 अनुज्ञप्ति पर लागू प्रावधानों के अनुसार
(ii)	एक आवासीय कॉलोमिनियम को प्रदान किया गया अनु0-12ग	गुरुग्राम	₹18,00,000 / -	बिना स्टार रेटिंग वाले अनु0-4 / अनु0-5 अनुज्ञप्ति पर लागू प्रावधानों के अनुसार
		फरीदाबाद	₹15,00,000 / -	
		सभी अन्य जिलों	₹10,00,000 / -	

परन्तु अनु0-12ग अनुज्ञप्ति, राज्य में कहीं भी स्थित प्रतिष्ठित क्लबों को प्रदान की जाएगी। अनु0-12ग अनुज्ञप्ति राज्य में कहीं भी स्थित आवासीय परिसर में भी प्रदान की जाएगी। यह इस शर्त के अधीन होगी कि केवल कॉलोमिनियम के निवासियों या उनके मेहमानों को क्लब में अनु0-12ग अनुज्ञप्ति वाले को सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी;

परन्तु यह और कि अनु0-12ग अनुज्ञप्ति, सरहिन्द क्लब, अम्बाला को प्रदान किए जाने पर, सेना के अधिकारी को सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से अपने कोटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली शराब के लिए हकदार नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि कोई भी अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारी, शराब / बीयर / आरटीबी / साईडर / लिकर, बेहिसाब शराब की बिक्री, होलोग्राम / आबकारी चिपकने वाले लेबलों की शराब की बिक्री के सिवाए, जाम की बजाए बोटलों में मदिरा की बिक्री करने में लिप्त पाया जाता है, तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति तुरन्त रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो साल की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित किया जायेगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है।

अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन फीस और परमिट फीस के भुगतान के अधीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति / सुनिश्चित करेगा। बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹50 प्रति पूफ लिटर	₹25 प्रति पूफ लिटर
वाईन	₹50 प्रति बल्क लिटर	₹25 प्रति बल्क लिटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लिटर	₹10 प्रति बल्क लिटर

अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारी बार सुबह 02.00 बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों के समय को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर सुबह 8:00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है:

परन्तु यह और कि पाँच लाख रुपये की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।

टिप्पण:- पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।”;

(vii) खण्ड (iv-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(iv-ग) प्ररूप अनु0-12गग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

(क) 9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब ₹30,00,000

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

- (दो विक्रय स्थलों सहित)
(ख) 18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब ₹50,00,000:
(तीन विक्रय स्थलों सहित)

परन्तु शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार की बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनु0-12गग क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी बार सुबह 02.00 बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों के समय को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर सुबह 8:00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

अनु0-12गग अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन फीस और परमिट फीस के भुगतान के अधीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेगा। बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:-

आयातित विदेशी मदिरा की किस्म	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹50 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

परन्तु यह और कि कोई भी अनु0-12गग अनुज्ञप्तिधारी शराब/बीयर/आरटीबी/साईडर/लिकर, बेहिसाब शराब की बिक्री, बिना होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाले लेबलों की शराब की बिक्री के सिवाए, जाम की बजाए बोतलों में मदिरा की बिक्री करने में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति तुरन्त रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो साल की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित किया जायेगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12गग क्लब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(viii) खण्ड (v) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- “(i) देसी मदिरा (अनु0-13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित अनुसार होगी:-
- (1) ₹50.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है।
 - (2) ₹60.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक या 50 लाख प्रूफ लीटर से कम है।
 - (3) ₹80.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे अधिक है:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक प्रत्येक अनु0-13 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर वापसी योग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन किसी भी राशि या जुर्माना के लिए जब्त या समायोजित होने के लिए उत्तरदायी होगी:

परन्तु यह और कि यदि अनु0-13 अनुज्ञप्तिधारी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से बचने के लिए मदिरा की अवैध या गुप्त बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे अनु0-13 अनुज्ञप्तिधारक की तरफ शास्ति आदि के कारण देय होने वाली राशि की वसूली, उसके द्वारा अपने खुदरा ठेके (अनु0-14ए) अनुज्ञप्ति के लिए जमा की गई प्रतिभूति से की जाएगी और किसी अनु0-13 गोदाम के स्टॉक में कमी के मामले में, 15,000 से अधिक प्रूफ लीटर और 25,000 प्रूफ लीटर तक, न्यूनतम शास्ति, जो उल्लंघन के लिए लगाई जा सकती है, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के 1.5 गुना से कम नहीं होगी। यदि किसी अनु0-13 गोदाम के स्टॉक में 25,000 प्रूफ लीटर से अधिक की कमी पाई जाती है, तो उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली न्यूनतम शास्ति, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के 2 गुणा से कम नहीं होगी तथा मेट्रा सहित देशी मदिरा पर 0.5 प्रतिशत टूट-फूट की छूट की अनुमति दी जायेगी। टूट-फूट के स्टॉक के सम्बन्ध में अधिरोपित आबकारी शुल्क वापस/समायोजित नहीं किया जायेगा।”;

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

(ix) खण्ड (i-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i-ग) प्ररूप अनु0-1कख में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रुफ लीटर के बराबर या उससे कम है	₹40,00,000
2.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रुफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रुफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹60,00,000
3.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रुफ लीटर से अधिक और 100 लाख प्रुफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹110,00,000
4.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 100 लाख प्रुफ लीटर से अधिक है	₹150,00,000
जैसे ही नीति वर्ष 2022-23 में अनु0-1कख अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी”;		

(x) खण्ड (i-गग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-गग) प्ररूप अनु0-1कख1 में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 50 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹50,00,000
2.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 50 लाख बल्क लीटर से अधिक और 100 लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹80,00,000
3.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 100 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹1,25,00,000
जैसे ही नीति वर्ष 2022-23 में अनु0-1कख1 अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी”;		

(xi) खण्ड (i-ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-ड) प्ररूप अनु0-1ख में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रुफ लीटर के बराबर या उससे कम है	₹30,00,000
2.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रुफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रुफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹60,00,000
3.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रुफ लीटर से अधिक और 100 लाख प्रुफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹110,00,000
4.	यदि नीति वर्ष 2021-22 (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 100 लाख प्रुफ लीटर से अधिक है	₹150,00,000

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

जैसे ही नीति वर्ष 2022-23 में अनु0-1ख अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।”;

(xii) खण्ड (i-डड) में, उप-खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क)	(I) नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ अनु0-1ख-1 द्वारा बीयर की वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2021-22 में (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) 50 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹50,00,000
	(II) यदि अनु0-1ख-1 द्वारा बीयर की वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2021-22 में (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक), 50 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹110,00,000
जैसे ही नीति वर्ष 2022-23 में अनु0-1ख-1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बीयर की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।”;		

(xiii) खण्ड (i-डडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i- डडड) प्ररूप अनु01-ख1-क (पीने के तैयार पेय) में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2021-22 में (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) 4 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹25,00,000
2.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2021-22 में (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) 4 लाख बल्क लीटर से अधिक और 8 लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹50,00,000
3.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2021-22 में (अर्थात् 12.06.2021 से 11.06.2022 तक) 8 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹1,00,00,000
जैसे ही नीति वर्ष 2022-23 में अनु01-ख1-क अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।”;		

(xiv) खण्ड (i-डडडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i-डडडड) प्ररूप अनु0-1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- (क) अनु0-1खच के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹4,00,00,000/-होगी;
- (ख) विभागीय पोर्टल पर आवेदन ऑन-लाईन आमन्त्रित करके अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी;
- (ग) आवेदक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदक, हरियाणा राज्य या किसी अन्य राज्य में कोई थोक अनुज्ञप्तिधारी, या कोई प्रोपराटर फर्म या कोई भागीदारी फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या सुसंगत विधि के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन पंजीकृत कोई फर्म होगी।
- (घ) आवेदक ₹2,00,000 की आवेदन फीस जमा करेगा। आवेदन फीस गैर वापसीयोग्य और गैर समायोज्य होगी। आवेदन के साथ ₹10,00,000 की प्रतिभूति राशि भी होगी। आवेदन, आवेदक की पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेजों के साथ होगा। सभी व्यक्तियों के पहचान प्रमाण, जैसे प्रोप्राइटर, सभी भागीदार, निदेशक और प्राधिकृत व्यक्ति, यदि कोई भी ऐसा प्राधिकृत है, तो आवेदन के साथ ही ऑन-लाईन अपलोड किया जाना चाहिए।
- (ङ) सभी आवेदन, जो आबकारी विधि के उपबन्धों के अनुसार सही पाए गए हैं, को पात्र माना जाएगा। विभाग अपनी विभागीय वेबसाइट पर पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशित करेगा और, इसे उसकी अनुज्ञप्ति के आबंटन की तिथि माना जाएगा। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के प्रदान करने के दिन से शुरू होने वाली अवधि या 12 जून, 2021, जो भी बाद में हो, के लिए वैध होगी।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

- (च) पात्र आवेदक अनुज्ञप्ति फीस के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि आबंटन की तिथि के एक सप्ताह के भीतर या नोटिस में निर्धारित ऐसे समय के भीतर जमा करवाएगा। अग्रिम राशि, प्रतिभूति राशि के भुगतान के लिए समायोज्य होगी। अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान के समय अपने मदिरा गोदाम की भंडारण क्षमता की घोषणा करना भी आवश्यक होगी।
- (छ) निम्नलिखित मामलों में आवेदक की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी:-
- (i) यदि आवेदक अपने आवेदन में कोई गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करता है या पाया जाता है;
- (ii) यदि आवेदक किसी भी कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है;
- (iii) यदि सफल आवेदक आबंटन के सात दिन के भीतर प्रतिभूति राशि की किस्त जमा करवाने में विफल रहता है;
- (iv) यदि सफल आवेदक उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो उसे आबंटन के सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं या किसी अन्य कारण के लिए जैसा कि आबकारी आयुक्त उचित समझे;
- (ज) राज्य में आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) के थोक अनुज्ञप्तियों की संख्या दस (10) निर्धारित की गई है। तथापि, यदि पहले दौर में उपयुक्त आवेदनों की संख्या दस (10) से अधिक प्राप्त होती है तो ऐसे सभी आवेदकों को अनु0-1खच अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी और अनु0-1खच अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आवेदन आमन्त्रित नहीं किया जाएगा;
- (झ) यदि पहले दौर में प्राप्त उपयुक्त आवेदनों की संख्या दस (10) से कम है तो विभाग राज्य में शेष अनु0-1खच के आबंटन के लिए एक और दौर शुरू करेगा। यदि बाद के किसी दौर में, उपयुक्त आवेदनों की संख्या शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्ति की संख्या से अधिक हो जाती है, तो ऐसे शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्ति की मंजूरी ऐसे दौर में प्राप्त उपयुक्त आवेदनों के बीच रूा द्वारा की जाएगी। इसके बाद कोई अतिरिक्त आवेदन आमन्त्रित नहीं किया जायेगा;
- (ण) पात्र आवेदक अन्य सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, जो नोटिस, हिदायते और हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित हैं।
- (ट) आवेदक को अपनी प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद वह अनुज्ञप्तिधारी माना जायेगा।
- (ठ) सफल आवेदक अनुज्ञप्ति फीस के दस प्रतिशत के बराबर आठ मासिक किस्तों में अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा। आठ किस्तों में से पहली किस्त का भुगतान आबंटन के कैलेंडर माह के अन्तिम कार्य दिवस तक किया जाएगा। शेष सात किस्तों का भुगतान प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक किया जायेगा, आबंटन के महीने से आगामी महीने से शुरू होकर, जब तक सभी सात किस्त प्राप्त नहीं हो जाती।
- यदि, अनुज्ञप्ति 2022 के सितम्बर महीने के बाद दी जाती है, तो अनुज्ञप्ति फीस का 80 प्रतिशत को मासिक किस्तों में इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि पूरी राशि 15 अप्रैल, 2023 तक प्राप्त हो जाए। आबंटन के कैलेंडर माह के अन्तिम कार्य दिवस तक किस्तों का भुगतान किया जाएगा और शेष मासिक किस्त का भुगतान आबंटन के महीने से आगामी प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक किया जाएगा। अनुज्ञप्ति फीस का शेष भाग पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति राशि से समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति से बकाया राशि, यदि कोई है, अनुज्ञप्तिधारी की ओर देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी।
- भारत में बनी विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा करवाने में विलम्ब अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा।
- (ड) प्रत्येक अनु0-1खच अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम कोटा 75000 पेटियाँ होगी। अनु0-1खच अनुज्ञप्ति के लिए कोटा उठाने की सूची निम्नानुसार होगी:-
- | | | |
|-------|----------|-------------------------------------|
| (i) | तिमाही-1 | वार्षिक कोटा का न्यूनतम 25 प्रतिशत |
| (ii) | तिमाही-2 | वार्षिक कोटा का न्यूनतम 50 प्रतिशत |
| (iii) | तिमाही-3 | वार्षिक कोटा का न्यूनतम 75 प्रतिशत |
| (iv) | तिमाही-4 | वार्षिक कोटा का न्यूनतम 100 प्रतिशत |

परन्तु नीति वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित अनु0-1खच अनुज्ञप्ति के मामले में, तिमाही-वार कोटा की गणना दिनों की संख्या के आधार पर समान रूप से विभाजित की जाएगी:

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी को कोटे की न्यूनतम मात्रा उठानी होगी। न्यूनतम कोटा उठाने में विफलता की दशा में, प्रत्येक पेटि पर ₹1800 की शास्ति लगाई जायेगी। प्रत्येक गणना किए हुए तिमाही के अन्त में उठाए गए कोटा की कम मात्रा के लिए शास्ति लगाई

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

जाएगी। तथापि, किसी तिमाही में कोटे की कमी के मामले में, शास्ति लगाई गई है, तो कोटा की उसी कमी के सम्बन्ध में किसी भी अनुवर्ती तिमाही में फिर से शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

(ड) निर्धारण फीस तथा परमिट फीस निम्न प्रकार से उद्गृहीत की जायेगी:-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति पूफ लीटर	₹25 प्रति पूफ लीटर
वाईन	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

- (ड.) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) पर वैंट 3 प्रतिशत के अधिभार के साथ 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।
- (त) किसी भी लागू विधि के उल्लंघन या आबकारी नियमों के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए लेबल रद्द करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी प्रकार की आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) ब्राण्डों के पंजीकरण के लिए ₹15,000/-की फीस प्रभारित की जाएगी।
- (थ) ₹3,000 प्रति बोतल की शास्ति, शामिल बोतलों के आकार को ध्यान में रखे बिना, अनु0-1खच के परिसरों, या अनु0-1, अनु0-2, अनु0-4 तथा अनु0-5, अनु0-12ग, अनु.-12छ, अनु0-10ख इत्यादि जैसे किसी अन्य परिसरों पर पाई गई विस्की और वाईन की हर बेहिसाब बोतल पर लगाई जाएगी। शास्ति उन अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाई जायेगी, जिसके परिसर पर शराब पाई गई है। बीयर के मामले में, शास्ति ₹1,500 प्रति बोतल, बोतल के आकार को ध्यान में रखे बिना लगाई जायेगी।
- (द) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की विस्की और वाईन के स्टॉक पर, ₹2,000 प्रति बोतल की शास्ति, किसी भी अनुज्ञप्त परिसर पर कम पाये जाने पर, लगाई जाएगी। बीयर के मामले में, प्रति बोतल ₹1,000 की शास्ति लगाई जायेगी।
- (ध) अनु0-1खच अनुज्ञप्ति किसी ऐसे स्थल पर नहीं होगा, जो किसी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से 5 किलोमीटर से कम हो।

हरियाणा राज्य में या राज्य से बाहर स्थित कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस और आयातित विदेशी शराब (बी0आई0ओ0) की आपूर्ति करने वाले को स्वयं को विभाग के पास पंजीकृत करवाना होगा। ऐसे कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस अपना आवेदन आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा निहित प्ररूप में 5,000/-रुपये के पंजीकरण फीस के साथ जमा करेंगे। राज्य में स्थित किसी भी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस और आयातित विदेशी शराब (बी0आई0ओ0) की राज्य के अन्दर या राज्य से बाहर आपूर्ति करने वाले को शराब (हरियाणा में और बाहर के लिए) की सभी प्राप्तियों और प्रेषणों की मासिक जानकारी विभाग द्वारा निहित रीति और प्ररूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, राज्य से बाहर स्थित किसी भी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस और आयातित विदेशी शराब (बी0आई0ओ0) की हरियाणा राज्य के अन्दर आपूर्ति करने वाले को विभाग द्वारा निहित रीति और प्ररूप में हरियाणा के अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसी आपूर्ति की मासिक जानकारी जमा करनी होगी। अनुपालना न करने की स्थिति में, ऐसे कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से आपूर्ति रोक दी जायेगी।

कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से जारी और हरियाणा राज्य में से गुजरने या भीतर से जाने वाली शराब की सभी खेप, परमिट की एक प्रति, कस्टम प्राधिकरण द्वारा जारी पास और आयुक्त द्वारा निर्धारित घोषणा के साथ होनी चाहिए।

- (न) वर्ष 2021-2022 के लिए अनु0-1खच का निवर्तमान अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2022-2023 के लिए आने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 11.06.2022 को आयायाति विदेशी मदिरा का बचा हुआ स्टॉक अन्तरित कर सकता है। विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी इत्यादि के लिए ₹75 प्रति पूफ लीटर की दर से और वाईन के लिए ₹75 प्रति बल्क लीटर और बीयर पर ₹50 प्रति बल्क लीटर की दर से अन्तरण फीस भी लगाई जायेगी;
- (प) अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी पूरे राज्य में अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करने का हकदार होगा। अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी आगे अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करेगा। अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों को पूरे राज्य में बार अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करने की भी अनुमति होगी।”;

(xv) खण्ड (i- डडडडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:-

“(i-डडडडड) प्ररूप अनु0-2खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

- (क) अनु0-2खच अनुज्ञप्ति अनिवार्य रूप से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की बिक्री के लिए ठेके की क्षमता के अनुसार भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (अनु0-2) के कुछ निश्चित खुदरा ठेकों को प्रदान की जायेगी। अनिवार्य अनु0-2खच अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस अलग से नहीं ली जाएगी, इसे खुदरा जोन की अनुज्ञप्ति फीस में ही शामिल माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक अनु0-2खच को आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) का न्यूनतम कोटा दिया जाएगा और इसे आबकारी व्यवस्था में प्रदर्शित किया जायेगा। राज्य के भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (अनु0-2) के खुदरा ठेके, जो आबकारी व्यवस्था में निर्धारित हैं, के अतिरिक्त, प्रत्येक 1000 पेटियों के न्यूनतम कोटा के लिए ₹2,00,000/-के गुणक में अनुज्ञप्ति फीस पर अनु0-2खच के रूप में भी अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं।
- (ख) अनु0-2 तथा अनु0-14क के खुदरा ठेकों के मामले में कोटा उठाने और कोटा नहीं उठाने के लिए शास्ति के प्रावधान इन अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होंगे। तथापि, कम कोटा उठाने के लिए शास्ति ₹2,000/-प्रति पेटि होगी।
- (ग) अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी, किसी अतिरिक्त फीस के बिना आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कोटा के हकदार होंगे। आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) का कोटा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के कोटे से अलग होगा।
- (घ) अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी, जिले के किसी भी अनु0-1 से अपनी आपूर्ति प्राप्त कर करेंगे।
- (xvi) खण्ड (i-छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- | | |
|--|--|
| “(i-छ) प्ररुप अनु0-1-ग में अनुज्ञप्ति के लिए | प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर वार्षिक फीस |
| (i) विस्की/स्कोच | ₹ 4,00,000 प्रति ब्राण्ड |
| (ii) बीयर | ₹ 3,00,000 प्रति ब्राण्ड |
| (iii) रम | ₹ 2,00,000 प्रति ब्राण्ड |
| (iv) जिन/वोदका | ₹ 1,20,000 प्रति ब्राण्ड |
| (v) वाईन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन | ₹ 45,000 प्रति ब्राण्ड |
| (vi) सीएसडी की आपूर्ति के लिए
वोदका/ब्राण्डी/ साईडर/वाईन तथा चैम्पेजन | ₹ 30,000 प्रति ब्राण्ड |
| (vii) देसी मदिरा | ₹ 4,00,000 प्रति ब्राण्ड |
| (viii) पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी) | ₹ 1,80,000 प्रति ब्राण्ड |
| (ix) राज्य से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड
लेबल फीस (सभी प्रकार के ब्रांडों के लिए) | ₹ 3,00,000 प्रति ब्राण्ड: |
| (x) देश से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड
लेबल फीस (सभी प्रकार के ब्रांडों के लिए) | ₹ 1,00,000 प्रति ब्राण्ड: |
| (xi) वर्ष के दौरान किसी भी अनुमोदित लेबल में
बाद में कोई भी परिवर्तन | इस तालिका में कम संख्या
(i)से (x) में वर्णित लागू
फीस का 1/3 |

परन्तु यदि आसवनी/बॉटलिंग प्लांट/मद्यनिर्माणशाला, विभाग के पास पहले से पंजीकृत एक विशेष ब्राण्ड को बाटलिंग करने के लिए, राज्य के बाहर स्थित अतिरिक्त स्रोत से उसी ब्रांड को पंजीकृत करना चाहता है, तो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इसकी अनुमति केवल आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा दी जाएगी, यदि वह संतुष्ट है कि राज्य बाजार में उस विशेष ब्राण्ड की आपूर्ति की कमी है। एक से अधिक स्रोत से शराब प्राप्त होने की दशा में, प्रत्येक अतिरिक्त लेबल के लिए अतिरिक्त लेबल फीस भुगतान योग्य होगा। इस प्रकार आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में कोई भी उल्लंघन होने पर पहले अपराध के लिए 5.00 लाख रुपये की शास्ति, दूसरे और तीसरे अपराध के लिए 15.00 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा बाद के अपराध के लिए ऐसे ब्राण्ड के मालिक के ब्राण्ड लेबल और अनुज्ञप्ति रद्द की जायेगी।”;

- (xvii) खण्ड (i-छ) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
- | | |
|---|-----------|
| “(i-ज) प्ररुप अनु0-1ब में अनुज्ञप्ति के लिए फीस | ₹25,000”। |
|---|-----------|

3. उक्त नियमों में, नियम 27-क में,-

उप-नियम (1) में, खण्ड (iii), (iv) तथा (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- | | |
|---|-------------|
| “(iii) शापिंग माल में स्थित नजदीकी अनु0-2
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त प्ररुप अनु0-10ख
में अनुज्ञप्ति के लिए फीस | ₹25,00,000: |
|---|-------------|

परन्तु अनु0-10ख अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य के किसी भी अनु0-1 खच अनुज्ञप्तिधारी या जिले के किसी भी अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

अनु0-10ख अनुज्ञप्तिधारी किसी भी अतिरिक्त मूल्यांकन फीस के भुगतान के बिना अपने जोन के आयातित विदेशी मदिरा के मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटा उठाने का हकदार होगा। ऐसा अतिरिक्त कोटा पहले से निर्धारित कोटा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा;

“(iv) प्ररूप अनु0-10ग में अनुज्ञप्ति के लिए फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी,—

जिला	अनुज्ञप्ति फीस
गुरुग्राम तथा फरीदाबाद	₹12,00,000
अन्य शेष जिले	₹8,00,000

परन्तु अनु0-10ग अनुज्ञप्ति माईक्रोबुअरी द्वारा निर्मित बीयर की खुदरा बिक्री के लिए दी जाएगी। यह अनुज्ञप्ति अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारकों को दी जाएगी।

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति फीस के अलावा अनु0-10ग अनुज्ञप्तिधारियों से ₹2,00,000 की प्रतिभूति राशि ली जाएगी;

(v) प्ररूप अनु0-10ड में अनुज्ञप्ति के लिए फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी,—

जिला	अनुज्ञप्ति फीस
गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पंचकुला	₹5,00,000
नगर निगम वाले अन्य जिले	₹2,00,000:

परन्तु अनु0-10ड अनुज्ञप्तियों केवल प्रतिष्ठित रेस्तरां को ही प्रदान की जाएगी। औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर में भी अनु0-10ड अनुज्ञप्तियों प्रदान की जाएगी। राज्य में पर्यटन/साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी प्रतिष्ठित होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां आदि को अनु0-10ड के रूप में बार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का मामला, जिसमें आधारभूत संरचना और सुविधाएं हैं, लेकिन आबकारी नीति के सम्बन्धित खंडों में वर्णित भौगोलिक प्रतिबन्ध से बाहर स्थित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे सभी मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अपनी सिफारिश सहित सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

राज्य में अनु0-10ड अनुज्ञप्तिधारी बार सुबह 02.00 बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों के समय को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर सुबह 8:00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

अनु0-10ड अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन फीस और परमिट फीस के भुगतान के अधीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार लाईसैंसधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेगा। बार लाईसैंसधारियों के लिए मूल्यांकन फीस और परिमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:—

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹50 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

पब अनुज्ञप्तिधारी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति के समान अतिरिक्त स्थानों, खुली जगह, छत, बालकनी आदि जैसी सुविधाओं के लिए हकदार होगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति फीस के अलावा अनु0-10ड अनुज्ञप्तिधारियों से ₹3,00,000 की प्रतिभूति राशि ली जाएगी।”।

4. उक्त नियमों में, नियम 31क में, “375” अंको के स्थान पर, “385” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 36क में,—

(i) उप-नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जायेगे, अर्थात्:—

“(1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेकों का आबंटन, तीन प्रकार के जोनों में बांटा जाएगा, जैसे शहरी जोन, ग्रामीण जोन और मिश्रित जोन। ग्रामीण जोन का कमाण्ड क्षेत्र, आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

किया जाएगा। आबकारी व्यवस्था के भाग के रूप में ऐसे कमांड क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) सक्षम प्राधिकारी होगा। इसी तरह, मिश्रित जोन के मामले में, केवल ग्रामीण टेके के लिए कमाण्ड क्षेत्र आबकारी व्यवस्था में निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होगा। शहरी क्षेत्रों में टेके का स्थान नियत किया जायेगा। असाधारण परिस्थितियों में, आबकारी एवं कराधान आयुक्त विस्तृत आदेश पारित करने के बाद टेके का स्थान बदल सकता है। अनुज्ञप्तिधारी को उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के अनुमोदन के अध्यक्षीन ग्रामीण क्षेत्रों में जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपना टेका रखने की स्वतन्त्रता होगी:

खुदरा अनुज्ञप्तियाँ (अनु0-2 और अनु0-14क) एक वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की जाएगी अर्थात् 12 जून, 2022 से 11 जून, 2023 तक, जिसे, इसमें, इसके बाद, नीति वर्ष या नीति वर्ष 2022-2023 के रूप में संदर्भित किया गया है। नीति अवधि को चार तिमाहियों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक तिमाही को आगे तीन महीनों में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि निम्नानुसार है:-

तिमाही	अवधि
प्रथम	12 जून, 2022 से 11 सितम्बर, 2022
द्वितीय	12 सितम्बर, 2022 से 11 दिसम्बर, 2022
तृतीय	12 दिसम्बर, 2022 से 11 मार्च, 2023
चतुर्थ	12 मार्च, 2023 से 11 जून, 2023

अनुज्ञप्तिधारी, जिले के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा स्थल योजना के पूर्वानुमोदन से टेका (टेके) और उप-टेका (उप-टेके) खोलने की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने जिले में स्थित सभी अनु0-2, अनु0-14क टेकों, उप-टेकों तथा शराब खाना की भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांक को विभाग की वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे:

परन्तु किसी भी कारण से किसी भी मामले में, मुख्य टेके को बन्द करना पड़ता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को उस जोन के कमाण्ड क्षेत्र में उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्व स्वीकृति के साथ स्थानांतरित करेगा।

जोन की ईकाईयों में देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा दुकानों का आबंटन किया जायेगा। एक जोन में अधिकतम चार टेके शामिल होंगे, जो आबकारी व्यवस्था में प्रदर्शित किए जाएंगे। जोनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

- (i) शहरी क्षेत्रों में 04 खुदरा टेके हैं, जो सभी शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें पहले से स्थान है;
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में 04 खुदरा टेके हैं, जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, अनुज्ञप्तिधारी को अपने कमाण्ड एरिया में कहीं भी इन दुकानों का स्थान तय करने के लिए लचीलेपन के साथ,
- (iii) 04 खुदरा टेकों तक के मिश्रित क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में पहले से निर्धारित स्थान के साथ इतनी संख्या में टेका (टेके) के साथ, जैसा कि आबकारी व्यवस्था में नियत किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में शेष टेका (टेके) (अनुज्ञप्तिधारी को उसके कमाण्ड क्षेत्र में कहीं भी स्थान नियत करने के लिए लचीलेपन के साथ) इस तरह के जोन शहरी टेका (टेके) के स्थान के निकटता में। टेकों की स्थापना नीति के अन्य प्रावधानों की अनुपालना के अधीन होगी।

आबंटन की प्रक्रिया, सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सदस्य के रूप में तथा उपायुक्त से मिलकर बनने वाली समिति, भागीदारों की उपस्थिति में, जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई-निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हों, संचालित की जायेगी। टेकों के जोन का आबंटन ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा।

आबकारी व्यवस्था तैयार करने के बाद, जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने कार्यालय, जिले के उपायुक्त के कार्यालय, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के साथ-साथ सम्बन्ध संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) कार्यालय तथा विभाग की वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर आबकारी व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा और सार्वजनिक/हितधारकों से प्रदर्शन के बाद दो दिन के लिए आपत्तियों को आमन्त्रित करेंगे और दो दिन के भीतर यदि कोई आक्षेप है तो उसका निर्णय किया जायेगा। सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) का निर्णय अन्तिम होगा:

परन्तु यह और टेकों के अन-अलॉटिड जोन का आबंटन, निविदाओं को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित रीति में आरक्षित मूल्य कम करके जारी रखा जाएगा:-

- (i) यदि जोन की आरक्षित मूल्य 5.00 करोड़ रुपये से कम है, तो मूल आरक्षित मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत के स्लैब में;
- (ii) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है, तो मूल आरक्षित मूल्य के अधिकतम 3 प्रतिशत तक के स्लैब में, जब तक ये आबंटित नहीं हो जाते हैं या 4 जुलाई, 2022 तक, या अगले कार्यदिवस को, यदि 4 जुलाई, 2022 को छुट्टी होती है, जो भी पहले हो। ऐसे मामले में जोन का कोटा कम किया जाएगा।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) कोटा निर्धारित करने में अन्तिम प्राधिकारी होगा। तथापि जोन के आबंटन से पूर्व कोटा में न्यूनतम कमी व्यतीत दिनों की संख्या के अनुरूप होगी:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए टेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई-निविदा प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का अधिकतम दस प्रतिशत तक कम किया जाएगा, जैसा कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) इस उद्देश्य के लिए उचित समझें और आमन्त्रित ई-निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक टेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आबंटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

(2) देशी शराब (अनु0-14क) तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (अनु0-2) के खुदरा जोनों का आबंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी रीति में ई-निविदाएं आमंत्रित करके किया जायेगा। ई-निविदा की विस्तृत प्रक्रिया को आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा, जिसे विभाग की वेबसाईट www.haryanatax.gov.in पर अपलोड कर प्रदर्शित किया जाएगा।

अनुज्ञप्तियों के सभी आबंटन आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) के अनुमोदन के अधीन हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) बिना कोई कारण बताए किसी भी आबंटन को जनहित में आबंटन की तिथि से 10 दिन के भीतर अस्वीकार कर सकते हैं। यदि आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) का कोई निर्णय दस दिन की निर्धारित अवधि के भीतर सूचित नहीं किया जाता है, तो आबंटन को आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) द्वारा अनुमोदित माना जाएगा।

सभी अनुज्ञप्तियों, चाहे थोक के लिए या खुदरा बिक्री के लिए, हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 के प्रावधानों और समय-समय पर हरियाणा राज्य के लिए लागू नियमों/विनियमों/निर्देशों/नीतियों के अधीन प्रदान की जाएगी।”;

(ii)

उप-नियम (4) तथा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जायेगे, अर्थात्:-

“(4) प्रत्येक बोलीदाता को उसकी बोली के साथ अग्रिम धन देनी होगी। अग्रिम धन केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में भुगतानयोग्य होगी। बैंक ड्राफ्ट आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला के पक्ष में भुगतानयोग्य होगा। अग्रिम धनराशि निम्न अनुसार होगी:-

क्रम संख्या	जोन का आरक्षित मूल्य	अग्रिम धनराशि
(i)	₹3 करोड़ से कम	₹10 लाख
(ii)	₹3 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹5 करोड़ से कम	₹20 लाख
(iii)	₹5 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹10 करोड़ से कम	₹40 लाख
(iv)	₹10 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹25 करोड़ से कम	₹60 लाख
(v)	₹25 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹40 करोड़ से कम	₹80 लाख
(v)	₹40 करोड़ तथा अधिक	₹120 लाख।

(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹2,50,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी-योग्य तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उसकी रजिस्ट्रेशन के जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी। नकद के मामले में, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय द्वारा एक विधिवत हस्ताक्षरित रसीद जारी की जाएगी।”;

(iii)

उप-नियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(12) सभी सफल आबंटितियों को अपने जोन में टेकों का प्रचालन शुरू करने से पूर्व, कम से कम दो ऋणशोधक व्यक्तियों की जमानत बांड के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी तथा शपथ पत्र भी दायर करना अपेक्षित होगा तथा तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रमाणित शोधनक्षमता प्रमाण पत्र या उसे आबंटित जोनों के अनुज्ञप्ति फीस के 10 प्रतिशत से अधिक या इसके सम मूल्य की बैंक गारंटी दाखिल करनी होगी। शपथ-पत्र विनिर्दिष्ट प्ररूप में 100/-रुपये के मूल्य के नॉन-जुडीशियल स्टॉम्प पेपर पर होगा। इस शपथ-पत्र का आशय होगा कि वह किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा अजमानतीय अपराध अथवा हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) या अफीम और राजस्व विधि (लागू होना विस्तारण) अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 33), पूर्वी पंजाब अफीम धुम्रपान अधिनियम, 1948, पूर्वी हरियाणा शीरा (नियंत्रण) अधिनियम 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम 11), भारतीय पॉवर एल्कोहल अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 22), जो हरियाणा में लागू हैं तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61) के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है। शपथ-पत्र इस आशय का होगा कि वह व्यतिक्रमी नहीं है तथा उसने सभी पूर्व देयों या हरियाणा में आबकारी राजस्व का भुगतान कर दिया है। इसमें विहित शपथ-पत्र या शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

करने की असफलता या मिथ्या-शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए पर्याप्त आधार होगा, जो उसकी लागत तथा जोखिम पर पुनः आबंटित की जाएगी:

परन्तु सभी सफल आबंटी ऐसे कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएंगे जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, जिसमें पहचान पत्र का प्रमाण हो, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि तथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रतिभूति प्रतिज्ञापत्र। सभी दस्तावेज नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किए हुए हो तथा विधिवत उसके नाम तथा पद सहित छपी होनी चाहिए। दस्तावेज उसके व्यवसाय की शुरुआत से पहले प्रस्तुत किए जाएंगे। सफल आबंटिती अपने अन्य कागजातों के साथ आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करेगा।”;

- (iv) उप-नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
“(17) अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु0-14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला में स्थित देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा :-

तिमाही	तिमाही	मासवार	तिमाही-वार कोटा प्रतिशत में
12 जून, 2022 से 11 जुलाई, 2022 12 जुलाई, 2022 से 11 अगस्त, 2022 12 अगस्त, 2022 से 11 सितम्बर, 2022	प्रथम	9 प्रतिशत 8 प्रतिशत 8 प्रतिशत	25 प्रतिशत
12 सितम्बर, 2022 से 11 अक्टूबर, 2022 12 अक्टूबर, 2022 से 11 नवम्बर, 2022 12 नवम्बर, 2022 से 11 दिसम्बर, 2022	द्वितीय	7 प्रतिशत 9 प्रतिशत 9 प्रतिशत	25 प्रतिशत
12 दिसम्बर, 2022 से 11 जनवरी, 2023 12 जनवरी, 2023 से 11 फरवरी, 2023 12 फरवरी, 2023 से 11 मार्च, 2023	तृतीय	10 प्रतिशत 9 प्रतिशत 8 प्रतिशत	27 प्रतिशत
12 मार्च, 2023 से 11 अप्रैल, 2023 12 अप्रैल, 2023 से 11 मई, 2023 12 मई, 2023 से 02 जून, 2023	चतुर्थ	8 प्रतिशत 8 प्रतिशत 7 प्रतिशत	23 प्रतिशत

अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार उसे आबंटित कोटा का 100 प्रतिशत कोटा उठाना होगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा उठाने में असफल होने पर अल्प कोटा शास्ति लगेगी। इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी को पिछली तिमाही का न उठाया गया कोटा अगली तिमाही में उठाना होगा।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 100/-रुपये तथा 150/- रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।”;

- (v) उप-नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
“(19) कोई भी व्यक्ति, जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नहीं करेगा, जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डे तथा पूजा के स्थल के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तथापि आबकारी आयुक्त उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्केट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थल वर्ष 2022-23 में ठेके की स्थापना के पश्चात्पूर्वी वर्ष के चालू रहने के दौरान 150 मीटर के दूरी में आते हैं।”;

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

- (vi) उप-नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
“(22) आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र और हरियाणा पर्यटन निगम/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि में उच्च राजस्व क्षमता वाले शराब के ठेकों का प्रस्ताव/सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, सम्बन्धित विभाग/निगम द्वारा नियत किए गए किराए का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सीधे तौर पर ऐसे विभाग/निगम को भुगतान किया जायेगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा मॉनीटर किया जायेगा और तिमाही आधार पर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। तथापि, हरियाणा पर्यटक कम्प्लैक्सों की दशा में केवल अनु0-2 ठेके अनुज्ञात होंगे। पर्यटक कम्प्लैक्सों में अनु0-2 के साथ कोई शराब खाना नहीं खोला जाएगा।”;
- (vii) उप-नियम (24) से 27 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
“(24) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में अपने संयुक्त ठेकों में से एक या इससे अधिक ठेकों को अवंत ग्रेड आउटलेट में परिवर्तित करेगा, जहाँ वह केवल भारत में निर्मित विदेशी शराब को बेचने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में कुछ खुदरा दुकानों को आबटित अवंत ग्रेड आउटलेट के रूप में पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट को क्षेत्र के ग्राहक-गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर अपने मूल कोटे के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगा। इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ऐसे ठेके के मूल कोटा, जोन के मूल कोटा को जोन में ठेकों की संख्या से विभाजित करके निकाला जायेगा।
परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रोविजन सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बिल जारी करने की मांग पर आवश्यक होगा। भारत में बनी विदेशी शराब तथा देशी शराब के लिए अलग पॉस मशीनों सभी खुदरा विक्रेताओं के बिक्री काउंटर पर स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को विभाग द्वारा निर्धारित पॉस के एकीकृत समाधान को अपनाने की आवश्यकता होगी। यह उपबन्ध बार अनुज्ञप्तिधारियों जैसे अनु0-4/अनु0-5, अनु0-12ग, अनु0-12गग तथा अनु0-10ड आदि पर भी लागू होगा।
इस उपबन्ध की उल्लंघना की दशा में, सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) जाँच करने के बाद प्रत्येक मामले पर ₹5000 की शास्ति अनुज्ञप्तिधारी पर लगायी जायेगी। बार-बार उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है। आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि शहरी क्षेत्रों में कोई खुदरा अनुज्ञप्तिधारी अपने जोन की फीस; (क) गुरुग्राम और फरीदाबाद के मामले में ₹15 करोड़ के बराबर या उससे अधिक; (ख) शेष जिलों के मामले में ₹5 करोड़ के बराबर या उससे अधिक रखने वाले, जो ठेकों के आबंटन के बाद अपने ठेके को अवंत ग्रेड आउटलेट में बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी समिति द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचारा जाएगा।
(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत नवीनीकरण आवेदन के प्रस्तुत करने के दिन या ई-बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 11 जून, 2022 को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 18 जून, 2022 तक जमा कराई जाएगी।
यदि बोली आरक्षित मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक है, तो बोलीदाता को जमा प्रतिभूति राशि स्लैब के अनुसार, जो राशि लागू है, के अलावा अपनी बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता के मामले में, उसकी बोली का 15 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 15 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।
उसकी बोली की धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस का तिरासी (83) प्रतिशत मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो मास जून, 2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक कैलेण्डर मास के अन्तिम कार्य दिवस तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतानयोग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 83 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसके बोली धन/अनुज्ञप्ति फीस के 17 प्रतिशत के बराबर उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित की जाएगी। समायोजन उसकी बोली की धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 8.5 प्रतिशत की प्रत्येक दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा;
(26) उसके बोली धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति जुलाई, 2023 के अन्त तक उसकी ओर बकाया या असंदत पाई गई किसी राशि का समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। किस्तों की अनुसूची निम्नलिखित प्रकार से होगी:-

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

मास	किश्ते (प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस के संदर्भ में)
जून	8.3
जुलाई	8.3
अगस्त	8.3
सितम्बर	8.3
अक्तूबर	8.3
नवम्बर	8.3
दिसम्बर	9.3
जनवरी	9.3
फरवरी	9.3
मार्च	5.3

यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।

यदि किसी भी क्षेत्र का कोई ठेका/ठेके बन्द किया जाता है या बाद में कोविड कंटेनमेंट जोन में आने की वजह से बन्द कर दिया जाता है, तो इसकी अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को बन्द होने के दिन के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। बन्द किए गए ठेके की अनुपातिक अनुज्ञप्ति फीस और कोटा की गणना करने के उद्देश्य हेतु, जो माफ की जानी है, जोन की अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को जोन के सभी मुख्य ठेकों के बीच बराबर रूप से विभाजित किया जाएगा।

(27) जोन के ठेकों की दशा में, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन की तिथि से दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है, के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तों में 31 मार्च, 2022 तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी;

यदि आबंटन या पुनः आबंटन फरवरी, 2023 के बाद किया जाता है, तो आबकारी तथा कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान और कोटा उठाने की समय सारणी इस तरह से तय करेंगे जैसा वह उचित समझे।

आबंटन/पुनः आबंटन मास के भुगतान की तिथि कैलेंडर मास के अन्तिम कार्य दिवस को होगी।”।

6 उक्त नियमों में, नियम 36ख का लोप कर दिया जायेगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 37 में,—

(i) उप नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(8) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय लाउडस्पीकर या किसी अन्य माध्यम से शराब की बिक्री की घोषणा करके उसका विज्ञापन नहीं कर सकता है। शराब की उपलब्धता के सभी संकेत और विज्ञापन प्रतिबन्धित रहेंगे। खुदरा अनुज्ञप्तिधारी दुकान के अन्दर और आस-पास सफाई और स्वच्छता बनाए रखेंगे। ठेके और शराबखाने के अन्दर और बाहर पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान रखे जाने चाहिए। रात के समय रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाए। अनुज्ञप्तिधारी का नाम और वर्ष, जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, अन्य सभी वैधानिक मानदण्डों और निर्देशों की पूर्ति के अधीन खुदरा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उचित आकार के बोर्ड पर ठेके के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, एक साईन बोर्ड भी लगाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:—

शराब पीकर गाडी न चलाएं

अनुज्ञप्ति का नाम	
अनुज्ञप्ति का सम्पर्क सूत्र	
अनुज्ञप्ति का नम्बर	
वर्ष के लिए वैध	

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

आबकारी निरीक्षक का सम्पर्क सूत्र	
आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय का सम्पर्क सूत्र	
ठेका का खुलने तथा बन्द होने का समय	

आगे, अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न ब्राण्डों के बिक्री मूल्य भी प्रदर्शित करेगा। ”;

(ii) उप नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(10) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) तथा स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त) को अपना ठेका सायं 5.00 बजे तक तथा महात्मा गाँधी के जन्मदिन (2 अक्टूबर) को पूरा दिन बन्द रखना होगा। हरियाणा राज्य में या सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के भीतरी क्षेत्र में तथा निकटवर्ती राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र के 3 किलो मीटर के भीतर क्षेत्रों में मतदान से पूर्व दो दिन की अवधि के लिए, मतदान के बाद एक दिन, मतगणना के दिन(दिनों) से पूर्व, मतगणना के दिन(दिनों), उसके बाद आगामी दिन, जहां मतदान भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य विधान सभा या संसद के लिए आयोजित किया जाता है, को बन्द रखना होगा तथा हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों/ शहरी स्थानीय चुनावों के लिए, चुनाव के क्षेत्र में शराब की दूकानों को बंद रखना आवश्यक होगा। ऐसे कारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस में किसी प्रकार कोई प्रतिभार या अनुज्ञप्ति फीस में राहत नहीं की जाएगी तथा इस नियम के उल्लंघन की दशा में, दाण्डिक कार्यवाही के अतिरिक्त, अनुज्ञप्त ठेका आबकारी तथा कराधान अधिकारी तथा कलक्टर की सूचना के अधीन उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त(आबकारी) द्वारा शुष्क दिन के आगामी दिन से प्रारम्भ सात दिन के लिए स्वतः मोहर बन्द कर दिया जायेगा।”;

(iii) उप नियम (11) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(क) प्ररूप अनु0-2, अनु0-10, अनु0-10क, अनु0-14 तथा अनु0-14क में अनुज्ञप्ति:-

ग्रामीण क्षेत्रों में

बिक्री समय प्रातः काल 08:00 बजे से 11.00 बजे (रात्रि) तक अप्रैल से अक्टूबर तक और प्रातः काल 08:00 बजे से 10.00 बजे (रात्रि) तक नवम्बर से मार्च तक

शहरी क्षेत्रों में

प्रातः काल 08:00 बजे से 12.00 बजे (मध्य-रात्रि) तक वर्ष भर:

कोई भी शहरी ठेका, जो निर्धारित समय से आगे चलाना चाहता है, उसे निम्नलिखित अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर अनुमति दी जा सकती है:-

विस्तार	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस
4 घण्टे तक	ऐसे ठेके की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 25 प्रतिशत
8 घण्टे तक	ऐसे ठेके की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 50 प्रतिशत

परन्तु यदि कोरोनावायरस प्रकोप के कारण बन्द होने मामले में, सभी आबकारी अनुज्ञप्तिधारी गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरियाणा और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर कोविड-19 को रोकने के लिए शराब की दुकानों/ प्रतिष्ठानों आदि को खोलने और बन्द करने के लिए काम के घन्टे/समय अनुसूची के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और अनुज्ञप्तिधारियों को काम के घन्टों में कमी किये जाने पर अनुज्ञप्ति फीस, कोटा इत्यादि में किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।”;

(iv) उप -नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) देशी मदिरा के लिए ₹8.00 प्रति पूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹14.00 प्रति पूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उदगृहीत की जाएगी:

परन्तु कलक्टर (आबकारी) के अनुमोदन के बाद, मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी को, केवल थौक अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति में, पिछले वर्ष के अनुज्ञप्तिधारी के बचे हुए स्टॉक को अंतर-जिला हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक अन्तरण फीस देशी मदिरा के लिए ₹10.00 प्रति पूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए ₹16.00 प्रति पूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹13.00 प्रति बल्क लीटर होगी:

परन्तु यह और कि चालू वर्ष के दौरान थौक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा छोड़े हुए स्टॉक को कलक्टर (आबकारी) के द्वारा उसी जिले के अन्य अनुज्ञप्तिधारी या दूसरे जिले के अनुज्ञप्तिधारी को भी अन्तरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति पूफ लीटर,

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

भारत में बनी विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹15.00 प्रति पूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 प्रति बल्क लीटर होगी।

टिप्पणः— जहाँ वर्ष 2022-2023 के लिए आबकारी नीति में किसी भी प्रकार की मदिरा के आबकारी शुल्क की दर में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2021-2022 के लिए आबकारी शुल्क की दर से अधिक है, दिनांक 12 जून, 2022 को बचे हुए स्टॉक पर अन्तर आबकारी शुल्क स्टॉक ट्रांसफर फीस के अतिरिक्त, यदि कोई हो, देय होगी।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप-नियम (16क) में,—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(क) किसी जोन के ग्रामीण ठेके/उप-ठेके को दूसरे अनुज्ञापिधारी से सम्बन्धित किसी भी शहरी ठेके से दो किलो मीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी।

परन्तु उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) संघर्षों को हल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और अपने जिले के भीतर स्थित जोनों के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। समाहर्ता (आबकारी) संघर्षों को हल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और विभिन्न जिलों के अन्तर्गत आने वाले जोनों के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

उप-ठेका विधि के अन्य सभी प्रावधानों के अध्यक्षीन भी होगा। ठेका/उप-ठेके को अधिमानतः फिरनी पर स्थापित करना होगा, परन्तु गाँव के लाल डोरा से बाहर। ठेकों के स्थान के सम्बन्ध में सभी प्रावधान उप-ठेकों पर भी लागू होंगे;”;

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) (क) उप-ठेका खोलने के लिए, अनुज्ञापिधारी को प्ररूप अनु0-14क, अनु0-2/एस0वी0 में अनुज्ञापि प्राप्त करनी होगी। उप-ठेका उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्व अनुमति के अध्यक्षीन जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर खोलने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक उप-ठेके की फीस निम्नलिखित होगी:—

ग्राम पंचायत की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	प्रति उप-ठेके की अनुज्ञापि फीस (रूपये में)
1000 तक	1.50 लाख
1000 तथा उपर	3.00 लाख

ग्रामीण क्षेत्रों में उप-ठेकों के लिए प्रावधान, नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) और (घ) के अनुसार लागू होंगे,—

(ख) 4000 तक की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक उप-ठेका अनुज्ञापि किया जायेगा;

(ग) अधिकतम दो उप-ठेके उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञापि किये जाएंगे, यदि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4000 से अधिक और 8000 से कम (2011 की जनगणना के अनुसार) है;

(घ) अधिकतम तीन उप-ठेके उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञापि किये जाएंगे, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 8000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है।

आगे यह स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष गाँव में उप-ठेकों की संख्या उस विशेष गाँव में मुख्य ठेका/ठेकों की संख्या के बावजूद है।”।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 10th June, 2022

No.23/X-I/P.A.1/1914/S.59/2022.- In exercise of the powers conferred under section 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.09/X-1/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28th January, 2020, I, Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, Haryana, exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2022.

2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 24,-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) for a license in form L-1,-

- (a) ₹1.55 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is less than or equal to 10 lakh Proof Litre.
- (b) ₹1.85 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 10 lakh Proof Litre and less than or equal to 25 lakh Proof Litre.
- (c) ₹2.15 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 25 lakh Proof Litre and less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.
- (d) ₹2.75 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is above 50 Lakh Proof Litre:

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security/bank guarantee equivalent to 30 % of the license fee for each L-1 license is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act:

Provided further that in case L-1 licensee is found to be indulging in any illegal or clandestine sale of liquor in order to avoid additional excise duty, the amount becoming due on account of penalty etc. towards such L-1 licensee shall be recoverable from the security deposited by him of his retail outlets (L-2) licenses and in case of shortage in the stock of any L-1 godown is found more than 20,000 Proof Litre and upto 40,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 1.5 times the additional excise duty payable on such stock. In case of shortage in the stock of any L-1 godown is found more than 40,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 2 times the additional excise duty payable on such stock and a breakage of allowance of 0.5% on Indian Made Foreign Liquor, all other remaining type of liquor and 1% on beer shall be allowed. The Excise duty levied in respect to the breakage stock shall not be refunded/adjusted.”;

(ii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-

- (a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels of 5 Star grading and above: ₹ 25,00,000

Provided that L-4/L-5 licenses shall also be granted within the area notified under Gurugram-Manesar Urban Complex Plan 2031 and also such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Industrial Town Park Manesar, Technology Park, Panchkula. L-4/L-5 licenses shall also be granted to the reputed restaurants in the industrial towns Dharuhera and Bahadurgarh and reputed restaurants situated in the Morni sub-Tehsil area:

Provided further that such licensee shall be allowed one main bar and three additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. In case the licensee wishes to sub-lease one or more additional points, then a fixed fee of Rs. 10 Lakh per additional point shall be charged from such licensee. L-4/L-5 licensee bars can remain open up to 02.00 A.M. in the State.

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

The timings of bars may be further extended upto 08:00 A.M on payment of additional annual fee of Rs.20 Lakh per annum. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT.

- (b) Hotels having grading of 4 Star: ₹ 22,50,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted provisionally to a Hotel located anywhere in the State subject to the condition that the applicant shall procure star classification of 4 star and above from the Ministry of Tourism, Government of India within one year of grant, failing which the provisional license shall not be renewed subsequently. The licensee shall apply for the star rating within one month of obtaining the L-4/L-5 license:

- (c) for Hotels having grading of 3 Star,-

Serial number	Name of District	License fee
1.	Gurugram	₹ 20,00,000
2.	Faridabad	₹ 17,00,000
3.	All other Districts	₹ 15,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted to three star and above categories of star hotels located anywhere in the State. L-4/L-5 licenses may also be granted to those hotels and restaurants of repute situated in the district head quarter cities. In order to promote tourism/adventure sports tourism in the State, the case for grant of a bar license in form L-4/L-5 to any reputed hotel, resort and restaurant etc., having good infrastructure and facilities, but located beyond geographical restriction as mentioned in relevant clauses of the Excise policy, shall be considered by the Government. All such cases shall be sent by the Excise and Taxation Commissioner with his recommendation to Government for approval.

The license of existing functional bars located anywhere in the State shall be renewed by the concerned Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), on behalf of the Collector.

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in up to three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one-time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹50 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹50 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹40 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-4/L-5 licensees in addition to the license fee.”;

- (d) The license fee for L-4/L-5 shall be,-

(a) for revenue district Gurugram ₹18,00,000/-

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

- (b) for district Faridabad ₹15,00,000/-
(c) for all other districts in the State except Gurugram and Faridabad ₹10,00,000/-
(d) for Bar(s) operated by Haryana Tourism Corporation in all districts A composite fee of ₹ 1, 50,00,000/-
(e) Bars operated by Haryana Shahri Vikash Pradhikaran in their Gymkhana and Golf Clubs in all districts: A composite fee of ₹ 1,50, 00,000/-

Provided that a composite security of ₹6,00,000 Lacs shall be taken from Haryana Tourism Corporation and Haryana Sahari Vikash Pradhikaran in addition to the composite license fee.

Provided further that any L-4/L-5 licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur, sale of unaccounted liquor and sale of liquor without holograms/EALs his license shall be cancelled forthwith and the security amount shall be forfeited. Such licensee and premises shall also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in an year, in any of above offence(s).

Note 1. - Any additional point above the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.

Note 2. - In case of bars operated by Haryana Tourism Corporation and Haryana Shahri Vikash Pradhikaran in their Gymkhana and Golf Clubs, they shall be allowed additional point on payment of a fee equal to ₹ 1 lakh for each such point.”;

(iii) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii). A license in form L-11 to bottle Indian Made Foreign Liquor shall be granted on payment of license fee of Rs. 75,00,000 per annum which shall be renewable on payment of renewal fee of Rs. 75,00,000 per annum:

Provided that bottling plants hitherto having L-15 license, shall be allowed to take L-11 license after paying one time conversion fee of Rs. 10.00 lakh alongwith other fees of L-11 license:

Provided further that the licensee holding license in form L-11 shall be liable to pay registration fee of Rs. 7.00 lac per brand per year for the bands to be bottled in Haryana:

Provided further that the license holders of D-2 license and B-I license who bottle brands other than their own brands shall also be liable to pay registration fee at the same rate as holder of license in form L-11.

In addition to registration fee for such bottling both category of licensees referred to above shall also be liable to pay the franchise fee at the following rates:-

Franchise Fee

Type of Liquor	For sale in Haryana	For export out of Haryana
Indian Made Foreign Spirit	Rs. 22/- per Proof Litre	Rs. 10/-per Proof Litre
Beer	Rs. 14/- per Bulk Litre	Rs. 5/-per Bulk Litre
Wine	Rs. 5/-per Bulk Litre	Rs. 5/-per Bulk Litre

Provided that no new letter of intent shall be granted to the proposed bottling plant till actual utilization of Extra Neutral Alcohol reaches 90% of the installed production capacity of the existing distilleries in the State. Further, no letter of intent shall be revalidated in the year 2022-23 for a proposed bottling plant, if the applicant fails to set up the plant within the prescribed time under the provisions of his letter of intent.”;

(iv) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely : -

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

“(ii-c) The bottling fee on Indian Made Foreign Spirit and Beer shall be levied as under: -

		For supply within State	For supply outside State within India	Export out of India
a)	For D-2 licenses bottling their own brands	₹15.00/-per Proof Litre	₹5.00/-per Proof Litre	Nil
b)	For bottling plants bottling their own brands	₹20.00/-per Proof Litre	₹7.50/-per Proof Litre	Nil
c)	For bottling of brands not covered in (a) and (b) above and where no franchise fee is levied	₹22.00/- per Proof Litre	₹8.00/- per Proof Litre	Nil
d)	For bottling of beer by the brewers	₹12.00/- per Bulk Litre	₹1.00/- per Bulk Litre	Nil

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.”;

- (v) in clause (iv), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely :-
 “Provided that a license in form L-12A shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) to an individual beyond possession limit for serving liquor during a day. The following categories shall apply online for grant of L-12A license:-
- for serving liquor in banquet halls, farm houses, community centres, public parks/places of Haryana Sahari Vikash Pradhikarn, dharamshalas holding functions, get-togethers and marriage parties.
 - for licensed hotels, restaurant and clubs for serving liquor outside their licensed premises on a temporary basis for hosting a function on a specific day.
 - for individual obtaining license to serve liquor at a private place for a day, beyond the possession limit.

The commercial places like Banquet Halls, Hotels having Party Hall/Lawns shall have to mandatorily register with the Excise Department in the office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the respective district. The annual registration fee of Banquet Halls and Hotels having Party Halls/Lawns shall be as under:-

Serial No.	Location of Banquet Hall/Hotel	Annual Registration fee
1	Corporation limit of Gurugram & Faridabad	₹50,000
2	Corporation limit of Ambala, Hisar, Karnal, Panchkula, Panipat, Rohtak, Sonapat & Yamunanagar.	₹30,000
3	Council/Committee limit of remaining District Headquarter cities	₹15,000
4	Banquet Halls/Hotels falling on National/State Highway outside the Municipal limit of a District (subject to the provision of Excise Policy and Excise rules).	₹10,000
5	Banquet Halls falling in Rural Areas (other than those specified in category 4 above)	₹5,000

The fee structure for L-12A license shall be as under:-

Serial No.	Location of Banquet Hall/Hotel	Annual Registration fee
(i)	For person serving liquor at commercial venues	₹5,000/- per day per function
(ii)	For individual serving liquor at a private place beyond the possession limit	₹1,000/- per day per function :

Provided further that L-12A license shall also be granted to Private Contractors/organizers being

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

applicant for serving liquor during entertainment events/mega shows/magic shows/celebrity programmes etc. shall be granted on payment of application fee, as mentioned below:-

No. of persons attending such event	Application fee per event (in ₹)
Upto 5000	₹10,000/-
5001 to 25000	₹1,00,000/-
25001 or above	₹5,00,000/-

This licence shall be granted by Excise and Taxation Commissioner. In addition, the applicant shall also be required to deposit Excise Duty/Assessment Fee/VAT or any other levies as applicable.

The application for grant of L-12A license at all the commercial venues shall mention the details of caterer i.e. name and style, GSTIN, the approximate number of guests and the quantity of liquor:

Provided further that in case any banquet hall/hotel is found serving liquor without a valid L-12A License, a penalty of ₹50,000/- shall be imposed for first offence, ₹1,50,000/- for second and third offences. Further, in case of subsequent violations, such banquet hall/hotel shall be debarred for grant of any excise license for a period of one year.”.

- (vi) for clause (iv-b), the following clauses shall be substituted, namely :-
“(iv-b) for a license in form L-12C,-

Category	Type of license	District	Annual License fee	Additional points (Count/License fee)
(i)	L-12 C granted to a club of repute	For all districts	₹ 20,00,000/-	As per provisions applicable to L-4/L-5 license with 3 Star rating
(ii)	L-12 C granted in a residential condominium	Gurugram	₹ 18,00,000/-	As per provisions applicable to L-4/L-5 license having no star rating
		Faridabad	₹ 15,00,000/-	
		All other districts	₹ 10,00,000/-	

Provided that L-12C licenses shall be granted to the Clubs of repute situated anywhere in the State. L-12C licenses shall also be granted in a residential condominium situated anywhere in the State. This will be subject to the condition that only the residents of the condominium or their guests shall be allowed to utilize the facilities in a club having L-12C License:

Provided further that in case of L-12C license granted to Sirhind Club, Ambala, the army official shall be allowed to utilize their quota through CSD canteen while the civilian members shall not be entitled for the liquor supplied through CSD canteen:

Provided further that any L-12C licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur, sale of unaccounted liquor and sale of liquor without holograms/EALs, his license shall be cancelled forthwith and the security amount shall be forfeited. Such licensee and premises shall also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in an year, in any of above offence(s).

The L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-:

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹50 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹50 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹40 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

L-12C licensee bars may remain open up to 02.00 A.M. in the State. The timings of bars may be further extended upto 08:00 A.M on payment of additional annual fee of Rs.20 Lakh per annum:

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12C licensees in addition to the license fee.”;

Note:- Any additional point, except the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.”;

(vii) for clause (iv-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(iv-c) for a license in form L-12CC,-

- | | |
|---|---------------|
| (a) Golf Club with the capacity
Up to 9 holes (with 2 sale points). | ₹ 30,00,000/- |
| (b) Golf Club with the capacity
Up to 18 holes (with 3 sale points). | ₹ 50,00,000/- |

Provided that license to serve liquor shall only be granted to Golf Clubs having facilities of 9 holes or more and they shall not be permitted as an additional point attached to any hotel or any type of bar license. The L-12CC Club bar licensee can remain open up to 02.00 A.M. in the State. The timings of bars may be further extended upto 08:00 A.M on payment of additional annual fee of Rs.20 Lakh per annum.

The L-12CC licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-:

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹50 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹50 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹40 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

Provided that any L-12CC licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur, sale of unaccounted liquor and sale of liquor without holograms/EALs his license shall be cancelled forthwith and the security amount shall be forfeited. Such licensee and premises shall also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in an year, in any of above offence(s):

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12CC Club bar licensees in addition to the license fee.”;

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

(viii) in clause (v), for sub-clause (i) and entries thereagainst, the following sub-clause and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“(i) The annual license fee for the wholesale outlet of country liquor (L-13) shall be as under:-

- (1) ₹50.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is equal to or less than 25 lakh Proof Litre.
- (2) ₹60.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is more than 25 Lakh and less than 50 Lakh Proof Litre.
- (3) ₹80.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is equal to or more than 50 Lakh Proof Litre.

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security/bank guarantee equivalent to 50 % of the license fee for each L-13 license is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act:

Provided further that in case L-13 licensee is found to be indulging in any illegal or clandestine sale of liquor in order to avoid additional excise duty, the amount becoming due on account of penalty etc. towards such L-13 licensee shall be recoverable from the security deposited by him of his retail outlets (L-14A) licenses and in case of shortage in the stock of any L-13 godown is found more than 15,000 Proof Litre and upto 25,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 1.5 times the additional excise duty payable on such stock. In case of shortage in the stock of any L-13 godown is found more than 25,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 2 times the additional excise duty payable on such stock and a breakage of allowance of 0.5% on Country Liquor shall be allowed. The Excise duty levied in respect to the breakage stock shall not be refunded/adjusted.”;

(ix) for clause (i-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-c) for a license in form L-1AB,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1AB, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is equal to or less than 25 Lakh Proof Litre	₹40,00,000;”
2.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 25 Lakh Proof Litre & less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.	₹60,00,000;”
3.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 50 Lakh Proof Litre & less than or equal to 100 Lakh Proof Litre.	₹110,00,000;”
4.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 100 Lakh Proof Litre.	₹150,00,000;”
As soon as the sale of L-1AB Licensee in the policy year 2022-23 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;		

(x) for clause (i-cc) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-cc) for a license in form L-1AB1,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is equal to or less than 50 Lakh Bulk Litre.	₹ 50,00,000;”
----	--	---------------

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

2.	In case the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 50 Lakh Bulk Litre and less than or equal to 100 Lakh Bulk Litre .	₹80,00,000;”
3.	In case the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 100 Lakh Bulk Litre.	₹1,25,00,000;”
As soon as the sale of L-1AB1 Licensee in the policy year 2022-23 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;		

(xi) for clause (i-e) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-e) for a license in form L-1B,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1B, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is equal to or less than 25 Lakh Proof Litre	₹30,00,000;”
2.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 25 Lakh Proof Litre & less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.	₹60,00,000;”
3.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 50 Lakh Proof Litre & less than or equal to 100 Lakh Proof Litre.	₹110,00,000;”
4.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 100 Lakh Proof Litre.	₹150,00,000;”
As soon as the sale of L-1B Licensee in the policy year 2022-23 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.		

(xii) In clause (i-ee), for sub-clause (a) and entries thereagainst, the following sub-clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) for a license in form L-1B-1,-

“(a)	(I) In case of new License or where the annual sale of Beer by L-1B-1, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is equal to or less than 50 Lakh Bulk Litre	₹50,00,000;”
	(II) In case the annual sale of Beer by L-1B-1, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 50 Lakh Bulk Litre.	₹110,00,000;”
As soon as the sale of Beer by L-1B-1Licensee in the policy year 2022-23 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;		

(xiii) for clause (i-eee) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-eee) for a license in form L1-B1-A (Ready to Drink Beverages),-

1.	In case of new License or where the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is equal to or less than 4 Lakh Bulk Litre	₹25,00,000;”
2.	In case the annual sale from L1-B1-A, in the policy	₹50,00,000;”

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

	year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 4 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 8 Lakh Bulk Litre.	
3.	In case the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2021-22 (i.e. from 12-06-2021 to 11-06-2022), is more than 8 Lakh Bulk Litre.	₹1,00,00,000;”
As soon as the sale of L1-B1-A Licensee in the policy year 2022-23 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;		

(xiv) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely : -
“(i-eeee) for a license in form L-1BF. –

- (a) The license fee for L-1BF shall be ₹4,00,00,000.
- (b) The license shall be granted by inviting online application on the departmental portal.
- (c) The applicant shall be allowed to make only one application. The applicant shall be, a wholesale licensee in the State of Haryana or any other State, or a proprietor firm or a partnership firm, or , a company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a society registered under the relevant law or a firm registered under Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009).
- (d) The applicant shall deposit an application fee of ₹2,00,000. The application fee shall be non-refundable and non-adjustable. The application shall also be accompanied with an earnest money of ₹10,00,000. The application shall be accompanied with documents establishing the identity of the applicant. Identity proof(s) of all the person(s), like proprietor, all the partners, directors and the authorized person, if there is any one so authorized, should be uploaded online along with the application.
- (e) All the applications which are found in order in accordance with the provisions of excise law shall be considered as eligible. The Department shall publish list of eligible applicants on its official website and, this will be treated as date of allotment of his license. The license shall be valid for a period starting from the day of grant of license or 12th June, 2022 whichever is later.
- (f) The eligible applicant shall deposit a security amount equal to 25% of the license fee within a week of the date of allotment, or within such time, as may be prescribed in the notice. The earnest money shall be adjustable towards the payment of amount of security. The licensee shall also be required to declare the storage capacity of his liquor godown at the time of grant of license.
- (g) The earnest money of the applicant shall be forfeited in the following cases:-
 - (i) In case the applicant furnishes or found having furnished any false or forged document in his application;
 - (ii) In case the applicant is found guilty of indulging in any malpractice;
 - (iii) If the successful applicant fails to deposit security amount within the prescribed time;
 - (iv) If the successful applicant fails to furnish documents as he is required to submit to the department within the seven days of the allotment or for any other reason as the Excise Commissioner may think fit.
- (h) The minimum number of wholesale licenses of Imported Foreign Liquor (BIO) in the State is fixed at ten (10). However, in case, the number of eligible applications received in first round exceeds ten (10), L-1BF licence shall be granted to all such applicants and no more applications shall be invited for grant of L-1BF licence.
- (i) In case number of applications received in first round is less than ten (10), the department shall initiate another round(s) for allotment of remaining L-1BF in the State. If in any subsequent round, the number of applications exceeds the count of remaining L-1BF licence, then the grant of such remaining L-1BF licence shall be made by draw of lots among the eligible applications received in such round. No more applications shall be invited thereafter.
- (j) The eligible applicant shall submit all other documents as are required under the provisions of the notice, instructions and the Haryana Excise Act, 1914 and the rules framed there under.
- (k) The applicant shall be treated as licensee once he has deposited his security amount.
- (l) The successful applicant shall pay the license fee in eight monthly installments each equal to 10% of the license fee. The first of the eight installments shall be paid by the last working day of

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

the calendar month of allotment. The remaining seven installments shall be paid by 15th of each month, starting from the month following the month of allotment, till all seven installments are received.

In case, the license is granted after the month of September, 2022, the 80% of the license fee shall be divided equally into monthly installments in such a manner that the whole amount is received by the 15th April, 2023. The first of these installments shall be paid by the last working day of the calendar month of allotment and remaining monthly installment shall be paid by 15th of each month following the month of allotment. The remaining part of the license fee shall be adjusted from the 25% security amount. The balance amount from security, if any, shall be refundable after adjusting any amount due towards licensee.

Interest shall be leviable for the period of delay in depositing the license fee in accordance with the provisions of retail licensees of Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor.

- (m) The minimum quota for each L-1BF Licensee shall be 75000 cases. The quota lifting schedule for L-1BF licensee shall be as under:-

- | | | |
|-------|-----------|------------------------------|
| (i) | Quarter-1 | Minimum 25% of annual quota |
| (ii) | Quarter-2 | Minimum 50% of annual quota |
| (iii) | Quarter-3 | Minimum 75% of annual quota |
| (iv) | Quarter-4 | Minimum 100% of annual quota |

Provided that in case of L-1BF license allotted during the currency of policy year, the quarter-wise quota shall be calculated by dividing it equally on the number of days basis:

Provided further that the licensee shall have to lift the minimum amount of quota in the financial year. In case of failure to lift the minimum quota shall attract a penalty of ₹1800 per case. Penalty shall be leviable for deficient quantity of quota lifted at the end of each quarter calculated. However, in case any shortage of quota has been penalized in a quarter, the same deficiency of quota shall not be penalized again in any subsequent quarter(s).

- (n) The assessment fee and permit fee shall be levied as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹75 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹75 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹50 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

- (o) VAT on Imported Foreign Liquor (BIO) shall be charged at the rate of 3% with surcharge @ 5%.
- (p) The labels shall be liable to cancellation for any violation of any applicable law or breach of any provisions of excise law. A fee of ₹15,000/- shall be charged for registration of all types of Imported Foreign Liquor (BIO) brands.
- (q) A penalty of ₹3000 per bottle, irrespective of size of bottles involved, shall be imposed on every unaccounted bottle of whisky and wine found at the L-1BF premises, or at any other premises like L-1, L-2, L-4 & L-5, L-12C, L-12G, L-10B etc. The penalty shall be imposed on the licensee in whose premises it is found. In case of Beer the penalty shall be ₹1500 per bottle irrespective of size of bottle.
- (r) A penalty of ₹2000 per Bottle shall be imposed on the stock of Whisky and Wine of Imported Foreign Liquor (BIO) found short at any licensed premises. In case of beer, a penalty of ₹1000 per Bottle shall be imposed.
- (s) L-1BF license shall not be located at a place which is less than five Kilometre from any custom bonded warehouse.

The custom bonded warehouse located in the State of Haryana or outside and intending to supply Imported Foreign Liquor (BIO) shall be required to get themselves

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

registered with the department. Such custom bonded warehouse shall submit his application in the office of Excise and Taxation Commissioner, Haryana for registration in the format prescribed by department alongwith a registration fee of Rs. 5000/-. Any custom bonded warehouse established in the State and making supply of Imported Foreign Liquor (BIO) within or outside State shall be required to submit monthly information of all receipts and dispatches of liquor (for Haryana and outside) in the manner and format as prescribed by the department. Further, any custom bonded warehouse established outside the State and making supply of Imported Foreign Liquor (BIO) in Haryana shall be required to submit monthly information of such supplies to L-1BF licensees of Haryana in the manner and format as prescribed by the department. In case of non compliance, the supplies from such custom bonded warehouse shall be stopped

All consignments of liquor issued from custom bonded warehouse and moving through or within the State of Haryana shall be accompanied with a copy of permit, pass issued by Custom Authority and a declaration to be prescribed by the Commissioner.

- (t) The outgoing licensee of L-1BF for the year 2021-2022 may transfer quota of unsold stock of imported foreign liquor as on 11-06-2021 to any of incoming licensees for the year 2022-2023. A transfer fee shall also be levied @ ₹75 per proof litre for whisky, Scotch, Rum, Vodka, Gin and Brandy etc. and ₹75 per Bulk litre for wine and ₹50 per Bulk litre for Beer. In addition, the licensee shall also be required to pay differential amount of assessment fee, if any.
- (u) The L-1BF licensee shall be entitled to make supplies to L-1 licensees throughout the State. The L-1 licensee will further make supplies to L-2BF licensees. The L-1BF licensees shall also be permitted to make supplies to bar licensees throughout the State.”;
- (xv) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely: -
“(i-eeee) for a license in form L-2BF. –
- (a) The L-2BF license shall be granted mandatorily to certain earmarked retail outlets of Indian Made Foreign Liquor (L-2), in accordance with the potential of the vend for sale of Imported Foreign Liquor (BIO). The licence fee for mandatory L-2BF licenses shall not be charged separately, it shall be considered as included in the licence fee of retail zone itself. Each such L-2BF shall be granted a minimum quota of Imported Foreign Liquor (BIO) and it will be displayed in the excise arrangement. Retail outlets of Indian Made Foreign Liquor (L-2) of the State, other than those which are earmarked in the excise arrangement, may also obtain the license in the form L-2BF at licence fee in multiple of Rs. 2 Lakh for minimum quota of 1000 cases each.
- (b) The provisions of lifting of quota and penalty for non-lifting of quota in case of retail outlets of L-2 and L-14 A shall apply mutatis mutandis to these L-2BF licensees. However, the penalty for short-lifting would be Rs.2000 per case.
- (c) L-2BF licensees shall be entitled to additional quota as per requirement without any additional fee. The quota of Imported Foreign Liquor (BIO) shall be separate from quota of IMFL.
- (d) L-2BF licensees shall procure their supplies from any L-1 of the district.”;
- (xvi) for clause (i-g), the following clause shall be substituted, namely :-
“(i-g) For a license in form L-1-C Annual fee at the rates given below against each :-
- | | |
|--|----------------------|
| (I) Whisky/ Scotch | ₹ 4,00,000 per brand |
| (II) Beer | ₹ 3,00,000 per brand |
| (III) Rum | ₹ 2,00,000 per brand |
| (IV) Gin/Vodka | ₹ 1,20,000 per brand |
| (V) Wine/Brandy/Cider/Champagne | ₹ 45,000 per brand |
| (VI) Vodka/Brandy/Cider/Wine and Champagne for supply to CSD | ₹ 30,000 per brand |
| (VII) Country Liquor | ₹ 4,00,000 per brand |

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

(VIII) Ready to Drink Beverages (RTB)	₹ 1,80,000 per brand
(IX) Brand label fee for exports out of State (for all types of brands)	₹ 3,00,000 per brand
(X) Brand label fee for export out of Country for all types of brands	₹ 1,00,000 per brand
(XI) Any subsequent change in any of the approved label during the year	1/3 rd of applicable fees as mentioned in this table at serial No. (i) to (x):

Provided that in case the distillery/bottling plant/brewery, bottling a particular brand already registered with the Department, wants to register the same brand label from an additional source situated outside the State, it shall only be allowed by Excise and Taxation Commissioner, for a specified period, if he is satisfied that there is a shortage of supply of that particular brand in the State Market. Additional label fee shall be payable for each additional label in case liquor is obtained from more than one source. Any violation in time frame thus specified by Excise and Taxation Commissioner shall attract a penalty of Rs. 5.00 lakh for first offence, Rs. 15.00 lakh for second and third offence and cancellation of brand label & license of such brand owner for subsequent offence.”;

- (xvii) after clause (i-g), the following clause shall be inserted, namely :-
“(i-h) fee for a license in form L-IW ₹25,000/-”.

3. In the said rules, in rule 27-A,-

- (i) in sub-rule (1), for clauses (iii), (iv) and (v), the following clauses shall be substituted, namely:-

- “(iii) The fee for license in form L-10B obtained by the nearest L-2 licensee located in shopping malls: ₹25,00,000

Provided that the L-10B licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the L-1BF licensee of the State or any L-1 Licensee in the district. The L-10B licensee shall be entitled to lift an additional quota upto 10% of Imported Foreign Liquor basic quota of his zone without payment of any additional assessment fee. Such additional quota shall be over and above the additional quota already prescribed, if any.

- (iv) the fee for license in form L-10C shall be as under:-

District	License fee
Gurugram and Faridabad	₹12,00,000
Other remaining districts	₹8,00,000:

Provided that L-10C license shall be granted for retail sale of beer to be manufactured by a Microbrewery. This license shall be granted to the holders of L-4/L-5 license.

Provided further that a security of ₹2,00,000 shall be taken from the L-10C licensees in addition to the license fee.”;

- (v) the fee for license in form L-10E shall be as under:-

District	License fee
Gurugram, Faridabad and Panchkula	₹5,00,000
Other districts having Municipal Corporation	₹2,00,000:

Provided that L-10E licenses shall be granted to those Restaurants of repute only. L-10E licenses shall also be granted in Industrial Model Townships, Manesar. In order to promote tourism/adventure sports tourism in the State, the case for grant of a bar license in form L-10E to any reputed hotel, resort and restaurant etc., having good infrastructure and facilities, but located beyond geographical restriction as mentioned in relevant clauses of the Excise policy, shall be considered by the Government. All such cases shall be sent by the Excise and Taxation Commissioner with his recommendation to Government for approval.

The L-10E bar licensee can remain open up to 02.00 A.M. in the State. The timings of bars may be further extended upto 08:00 A.M on payment of additional annual fee of Rs.20

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

Lakh per annum.

The L-10E licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹50 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹50 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹40 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

A pub licensee shall be entitled for facilities like additional points, open space, terrace, balcony etc. similar to L-4/L-5 license:

Provided that a security of ₹3,00,000 shall be taken from the L-10E licensees in addition to the license fee.”.

4. In the said rules, in rule 31-A, for the figure “375”, the figure “385” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 36-A-,

(i) for sub-rule (1) and (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The allotment of vends in rural and urban areas shall be grouped into three types of Zones, namely urban zones, rural zones and mixed zones. The Command area of a rural zone shall be the geographical area specified for the Zone in the Excise Arrangements. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) will be the competent authority to determine such command area as part of the Excise arrangement. Likewise, in case of mixed zone, the command area shall be the geographical area specified in the excise arrangement for only rural vend of the mixed zone. The location of vends in urban areas will be fixed. In exceptional circumstances, the Excise Commissioner can change the location of vend after passing detailed order. The licensee shall have freedom, in the rural areas, to locate his vend(s) at any place within the command area of the Zone, subject to approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise).

The retail licences (L-2 and L-14A) shall be allotted for a period of one year i.e. from 12.06.2022 to 11.06.2023 referred hereinafter as policy year or policy year 2022-23. The policy period shall be divided into four quarters and Each quarter shall be further divided into 3 months, as under:-

Quarter	Period
1 st	12.06.2022 to 11.09.2022
2 nd	12.09.2022 to 11. 12.2022
3 rd	12.12.2022 to 11.03.2023
4 th	12.03.2023 to 11.06.2023

The licensee shall make his own arrangement for opening of the vend(s) and sub-vend(s), with prior approval of site plan by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall upload the Geographic Information System coordinates of all L-2, L-14A vends, sub-vends and Tavern located in his district on the web portal of the Department:

Provided that if in any case the main vend has to be closed down due to any reason, the licensee shall shift that vend into the command area of that zone with the prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of that district.

The allotment of retail outlets of Country liquor and Indian Made Foreign Liquor shall be done

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

in units of Zones. A Zone shall comprise of a maximum of four vends which shall be displayed in the excise arrangement. The zones shall be categorized as under:-

- (i) Urban Zones having upto 04 retail vends, all located in urban areas with prefixed locations;
- (ii) Rural Zones having upto 04 retail vends, all located in rural areas, with flexibility to the licensee to decide the location of these vends anywhere in his command area,
- (iii) Mixed Zones having upto 04 retail vends, with such number of vend(s) with prefixed location in urban areas as fixed in the excise arrangement and remaining vend(s) in rural area (with flexibility to the licensee to decide the location of such vend(s) anywhere in his command area) in proximity to the location of urban vend(s) of such zone.

The establishment of vends shall be subject to the compliance of other provisions of the policy.

The process of allotment shall be conducted by a committee headed by the Deputy Commissioner with Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the respective district as its members, in the presence of the participants who wish to be present on the date of evaluation of e-bids to be published by the department in the newspapers. The allotment of Zone of vends shall be done by way of inviting e-bids.

After preparing the Excise Arrangement the Deputy Excise and Taxation Commissioner(Excise) of the district shall display the same in his office, office of the Deputy Commissioner of the district, office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the district as well as office of the Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) concerned and on the departmental website www.haryanatax.gov.in and shall invite the objections from the public/stakeholders for two days after the display and shall decide these objections if any within two days. The decision of the concerned Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district shall be final:

Provided that allotment of un-allotted zones of vends, the process of inviting tenders shall be continued by successively reducing the reserve price in the following manner:-

- (i) In the slabs of maximum upto 5% of the original reserve price in case reserve price of the zone is less than Rs. 5.00 crore,
- (ii) In the slabs of maximum upto 3% of the original reserve price in case reserve price of the Zone is more than Rs.5.00 crore till these are allotted or up to 4th July, 2022, or the next working day in case 4th July, 2022 happens to be a holiday, whichever is earlier. The quota of zone in such case shall be reduced. The Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) shall be the final authority to fix quota. However, the minimum reduction in quota shall be commensurate to the number of days lapsed before allotment of zone.

Provided further that in case of cancellation of a license, the process of re-allotment shall be initiated by inviting e-bids through advertisement immediately. The reserve price for re-allotment shall be computed proportionately for the remaining period for which the Zone of vends is to be re-allotted using the original license fee. In case no bid is received, the reserve price shall be further reduced by maximum upto 10 % of the above mentioned original reserve price, as Excise and Taxation Commissioner(Financial Commissioner) may deem fit for this purpose and the process of inviting e-bids shall be repeated till the Zone of vends is re-allotted. This re-allotment shall be done at the risk and cost of original licensee.”;

“(2) The allotment of retail zones of Country Liquor (L-14A) and Indian Made Foreign Liquor (L-2) vends shall be made by inviting e-tenders through a departmental portal in a completely secure and transparent manner. The detailed procedure for e-tendering shall be finalized by the Excise and Taxation Commissioner which shall be displayed by uploading the same on the website of the Department www.haryanatax.gov.in.

All allotments of licenses are subject to the approval of the Excise & Taxation Commissioner (Financial Commissioner). The Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) may reject, without assigning any reason, any allotment in public interest as the case may be, within 10 days of the date of allotment. In case no decision of Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) is conveyed within the stipulated period of ten days, the allotment shall be deemed to have been approved by the Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner).

All licences, whether for wholesale or for retail sale, shall be granted subject to the provisions of the Haryana Excise Act, 1914 and the Rules/ Regulations/ Instructions/Policies framed there under from time to time as applicable to the State of Haryana.”;

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

(ii) for sub-rule (4) and (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) Each bidder shall have to furnish the earnest money alongwith his bids. The Earnest Money shall be payable in the form of bank drafts only. The bank drafts shall be payable in favour of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana, Panchkula. The amount of Earnest Money shall be as under:-

Sr. No.	Reserve Price of Zone	Earnest Money
(i)	Less than ₹3 crore	₹10 lakh
(ii)	₹3 crore and above but less than ₹5 crore	₹20 lakh
(iii)	₹5 crore and above but less than ₹10 crore	₹40 lakh
(vi)	₹10 crore and above but less than ₹25 crore	₹60 lakh
(v)	₹25 crore and above but less than ₹40 crore	₹80 lakh
(vi)	₹40 crore and above	₹120 lakh”;

“(5) The bidder shall have to deposit a participation fee of ₹2,50,000/- for each Zone. The participation fee is non-refundable and non-adjustable. The participation fee shall be deposited through case or demand draft in the Office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district of his registration. In case of cash, a duly signed receipt shall be issued by the office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .”.

(iii) for sub-rule (12), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(12) All successful allottees, before the start of operation of vends in his zone, shall furnish surety of at least two solvent persons in form of a surety bond and shall also be required to file an affidavit and a solvency certificate duly attested by Tehsildar or a bank guarantee of value equal to or more than 10% of the license fee of the zones allotted to him/her. Affidavit shall be on a non-judicial stamp paper of the value of Rs. 100/- in the format prescribed in the form. The affidavit will be to the effect that he has not been convicted of any non-bailable offence by a criminal court or of any offence punishable under the Haryana Excise Act or the Opium Act, the East Punjab Opium Smoking Act, 1948, the Haryana Molasses (Control) Act, 1948, the Indian Power Alcohol Act, 1948 applicable to Haryana or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. The affidavit will also be to the effect that he is not a defaulter and has paid all past dues of excise revenue in Haryana. The failure to furnish the affidavit or solvency certificate prescribed herein or furnishing false affidavit shall be sufficient ground for cancellation of license, which shall be re-allotted at his cost and risk:

Provided that all successful allottee shall submit certain documents namely proof of identity having his/her photograph like voter ID card, passport, ration card, driving license, Aadhar Card(UID) etc., and a surety bond in the prescribed format. All the documents have to be duly attested by a Notary Public or Gazetted Officer and duly stamped with his name and designation. The documents shall be submitted before the start of his/her business. The successful allottee shall provide a photocopy of his PAN Card issued by the Income Tax Department alongwith other documents.”;

(iv) for sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(17) The licensee to whom a retail liquor outlet of country liquor (L-14A) or Indian Made Foreign Liquor (L-2) is allotted, shall be bound to lift its entire annual quota of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1) located at every district in the State. The lifting of quota shall mean physical lifting of liquor from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1). It shall be obligatory for a licensee to lift entire basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor allocated to his/ her Zone of vends as per the schedule below:-

Quarter	Quarter	Month-wise in % age	Quarter-wise quota in % age
12 th June, 2022 to 11 th July, 2022 12 th July, 2022 to 11 th August, 2022 12 th August, 2022 to 11 th September, 2022	1 st	9% 8% 8%	25%
12 th September, 2022 to 11 th October, 2022 12 th October, 2022 to 11 th November, 2022 12 th November, 2022 to 11 th December, 2022	2 nd	7% 9% 9%	25%
12 th December, 2022 to 11 th January, 2023 12 th January, 2023 to 11 th February, 2023 12 th February, 2023 to 11 th March, 2023	3 rd	10% 9% 8%	27%

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

12 th March, 2023 to 11 th April, 2023	4 th	8%	23%
12 th April, 2023 to 11 th May, 2023		8%	
12 th May, 2023 to 2 nd June, 2023		7%	

The licensee shall have to lift 100% of the quota allocated to him as per the schedule described above. Failure to lift prescribed quarterly quota shall attract short quota penalty. Further, the licensee shall have to lift the unlifted quota of previous quarter in the next quarter.

Non compliance of the provision regarding lifting of quarterly quota shall attract penalty at the rate of Rs.100/-and Rs.150/-per proof litre of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor respectively for the deficient quantity.”;

- (v) for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 150 meters from the main gate of a recognized school/college/main bus stand and a place of worship. However, Excise Commissioner can relax such distance for the location of retail liquor outlet from 150 meters to 75 meters on the recommendations of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). Further, in urban areas, the retail liquor outlets shall be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases where a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up with a distance of 150 meters during the currency of the year subsequent to the establishment of vend in the year 2022-2023.”;
- (vi) for sub-rule (22), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(22) The Excise and Taxation Department shall facilitate setting up liquor vends having high revenue potential in Haryana Sahari Vikash Pradhikarn, Gurugram Metropolitan Development Authority, Haryana State Infrastructure and Industrial Development Corporation area and land of Haryana Tourism Corporation/Urban and Rural Local Bodies, wherever possible. However, the rent thereof, shall be paid by the licensees directly to such Department/Corporation. The Deputy Excise and Taxation Commissioner(Excise) shall ensure the payment of rent and will send a report to Excise and Taxation Commissioner on monthly basis. However, in case of Haryana Tourism Complexes, only L-2 vends will be allowed. No Tavern will be allowed with the L-2 vends in the tourist complexes.”;
- (vii) for sub-rule (24) to (27), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(24) The licensee shall convert one or more of his composite vends to Avant-Garde Outlet(s) in posh market or shopping mall of the urban area, where he intends to sell Indian Made Foreign Liquor only. For this purpose, some of the retail outlets in the posh markets or Shopping Malls of the Urban Areas shall be identified to be allotted as Avant-Garde Outlets. The Avant-Garde Outlets shall be identified by the department, keeping in view the clientele and potential of the area. The Avant-Garde Outlets shall have a separate section for Indian Foreign Liquor (BIO). The Avant-Garde Outlets shall be entitled to lift an additional quota up to 5% of such vend’s basic quota without any levy of additional excise duty i.e. at the rate of excise duty as applicable to basic quota. For the purpose of this clause, the basic quota of such vend shall be worked out by dividing the basic quota of zone with the number of vends in the zone:
Provided that the provision of machine generated invoices (POS) shall be mandatory for all the retail licensees on demand to issue an invoice on sale. Separate POS Machines for IMFL and CL shall be installed at sale counter of all the retail vends. Further, the licensee shall be required to adopt the integrated solution of POS prescribed by department. This provision shall also be applicable to bar licensees such as L-4/L-5, L-12C, L-12G, L-10E etc.
In case of violation of this provision, a penalty of ₹ 5000 per incident shall be imposed on the licensee, after enquiry by the Deputy Excise & Taxation Commissioner (Excise) concerned. In case of repeated violations, the license shall be cancelled. It is provided further that if any retail Licensee in urban areas having license fee of his zone; (a) equal to or above ₹ 15 crore in case of Gurugram and Faridabad; (b) equal to or above ₹ 5 crore in case of remaining districts, wants to convert his vend into a Avant-Garde Outlet after allotment of vends, he may be allowed to do so with the approval of the Department. Such applications may be examined and considered for approval by a committee comprising of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) and two senior most Excise and Taxation Officers of the district.”;
- (25) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 20% of the annual license fee of the Zone of vends, out of which, 5% of the license fee shall be

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

deposited on the day of submitting renewal application or evaluation of e-bids, as the case may be; 5% of the license fee within seven days of the allotment or on or before 11th June, 2022 whichever is earlier; and the remaining security equal to 10% of the license fee shall be deposited by 18th of June, 2022.

In case of bids that exceed the reserve price by more than 25%, the bidder shall have to deposit an amount equal to 15% of his bid amount in addition to the amount applicable as per Earnest money deposit slabs. In case of successful bid, 15% of his bid money shall be deducted by the system and shall be deposited as 15% security.

The eighty three Percentage (83%) of his bid money/license fee shall be payable by him in monthly installments each payable by last working day of each calendar month starting from the month of June, 2022 and every subsequent month. The payment shall continue till full amount of 83% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 17% of his bid money/license fee, shall be adjusted towards his license fee after the payment of installments amounting to 83% of his bid money/license fee. The adjustment shall be made over a period of last two months in two equal installments; each equal to 8.5 % of his bid money/license fee.

(26) The balance security equal to 3% of his bid money/ license fee shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the end of July, 2023. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount. The schedule of installments shall be as under:-

Month	Installments (in terms of %age license fee)
June	8.3
July	8.3
August	8.3
September	8.3
October	8.3
November	8.3
December	9.3
January	9.3
February	9.3
March	5.3

If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, shall be forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be charged from the first day of the month of default till the date of payment @ 18% per annum.

In case any vend or vends of any zone are closed or are subsequently closed on account of falling under Covid Containment Zone, its license fee and quota shall be proportionately waived off in proportion of days of closure. For the purpose of computation of proportionate license fee and quota of a closed vend to be waived off, the license fee and quota of a zone shall be equally divided amongst all the main vends in such zone;

(27) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 10% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The Zone of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 83% of the license fee shall be payable upto 31.03.2023 in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments.

In case the allotment or re-allotment takes place after February, 2023, the Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) shall decide the schedule for payment of license fee and lifting of quota in such manner, as he may deem fit.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be last working day of the calendar month.”.

6. In the said rules, rule 36B shall be omitted.
7. In the said rules, in rule 37-,
 - (i) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

“(8) No licensee can at any time advertise the sale of liquor by announcing it on loudspeakers or by any other means. All signages and advertisements of the availability of liquor shall be prohibited. The retail licensees shall maintain cleanliness and hygiene in and around the shop. Adequate number of dustbins shall be put up inside and outside the vend and Tavern. Proper lighting shall be ensured at the night time. The name of the licensee and year for which license is granted shall be displayed on a board of suitable size on the face of the vend by a retail licensee subject to fulfillment of all other statutory norms and instructions. Moreover, a signboard shall also be put up containing the following details:

DO NOT DRINK AND DRIVE

Name of the Licensee	
Contact number of Licensee	
License number	
Valid for year	
Contact number of Excise Inspector	
DETC (Ex) office contact number	
Time of opening and closing of vend	

Further, the licensee shall also display the sale price of various brands.”;

(ii) for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(10) Every licensee shall have to keep its vend closed on Republic Day (26th January) up to 5:00 P.M, Independence Day (15th August) up to 5:00 P.M, Mahatma Gandhi’s Birthday (2nd October) full day. In the area within the concerned constituency and in the adjoining areas within 3 kilometres of the constituency in the State of Haryana or in the adjoining States for the period of two days before polling days, the polling days, the day after the poll, the days before the counting day(s), the counting day(s), the day immediately thereafter where polling is held for the State Assembly or Parliament as per the directions of the Election Commission of India and elections to Panchayati Raj Institutions/ Urban Local Bodies in Haryana, the liquor shops shall be required to remain closed in the area of election. No compensation of any kind or relief in license fee on such account shall be given and in case of breach of this rule, in addition to the penal proceedings, the licensed vend shall be automatically sealed for seven days commencing from the next day of the dry day by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) under intimation to the Excise and Taxation Commissioner and Excise Collector.”;

(iii) In sub-rule (11), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) License in Form L-2, L-10, L-10A, L-14 and L-14A:-

In Rural Areas

Sale Hours are 8.00 A.M. to 11.00 P.M. (Night) from April to October and from 8.00 A.M. to 10.00 P.M. from November to March.

In Urban Areas

From 8.00 A.M. to 12.00 (Mid-night) throughout the year.

Any urban vend which intends to operate beyond the stipulated time, may be allowed on payment of following additional licence fee:-

Extension	Additional License Fee
Upto 4 hours	25% of such vend’s annual license fee
Upto 8 hours	50% of such vend’s annual license fee

Provided that in case of outbreak due to corona virus, all the excise licensees shall comply with the directions given with regard to working hours/ time schedule for opening and closing of liquor vends/establishments etc. announced by the Ministry of Home Affairs, Government of India, State Disaster Management Authority, Haryana and any other competent authority from time to time to contain the spread of Covid-19 and no compensation of any type whatsoever in licence fee, quota etc. will be given to the licensees on account of reduction in working hours.”;

(iv) In sub-rule (32), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) The stock transfer fee shall be levied at the rate ₹8.00 per proof litre for country liquor, ₹14 per

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

proof liter for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹12 per bulk litre for beer.

Provided that inter-district transfer of left over stock of the licensee of the previous year to a current licensee shall be allowed only in case of wholesalers, after approval of the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 10.00 per proof litre for country liquor, ₹ 16.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 13.00 per bulk litre for beer.

Provides further that stock surrendered due to determination of wholesale license during the currency of the year shall also be allowed to be transferred to another licensee of the same district or to another licensee of some other district by the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 9.00 per proof litre for country liquor, ₹ 15.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 12.00 per bulk litre for beer.

Note: Where the rate of excise duty in the Excise Policy for the year 2022-23 have been increased in case of any type of liquor over the rates of excise duty for the years 2021-22, the differential excise duty on the unsold stock as on 12.06.2022 shall be payable, in addition to the stock transfer fee, if any.”.

8. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

“(a) The rural vend/sub-vend of a zone shall also have to maintain a minimum distance of 2.0 K.Ms from any urban vend belonging to a different licensee.

Provided that the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall be the competent authority to resolve the conflicts and ensure the compliance of the provisions for the zones situated within his district. The Collector (Excise) shall be the competent authority to resolve the conflicts and ensure the compliance of the above provisions for zones falling under different districts.

The sub-vend shall also be subject to all other provisions of law. The vend/sub-vend is required to be preferably located on the ‘phirni’ but outside the Lal Dora of the Village. All the provisions with regard to location of vends shall apply to the sub-vends also.”;

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A, L-2/SV. Sub-vend shall be allowed within the command area of the Zone, subject to the prior approval of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). The fee per Sub-vend shall be as follows:-

Population of gram Panchayat (as per 2011 census)	License fee per sub-vend(in Rupees)
Upto 1000	1.50 Lakh
1001 and above	3.00 Lakh

For sub-vends in rural areas, the provisions shall be applied as per para (b), (c) and (d) mentioned below.

(b) One sub-vend shall be allowed for each Gram Panchayat with a population upto 4000 (as per 2011 census).

(c) Maximum number of two sub-vends shall be allowed in a Gram Panchayat, if the population of such Gram Panchayat is more than 4000 and less than 8000 (as per 2011 census).

(d) Maximum number of three sub-vends shall be allowed in a Gram Panchayat, if the population of such Gram Panchayat is more than 8000 (as per 2011 census).

It is further clarified that the number of sub-vends in a particular village is allowed irrespective of count of main vend(s) in that particular village.”.

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.